THE DEPUTY CHAIRMAN: Here, we have thirty minutes for it.

SHRI NITISH KUMAR: Madam, we can pass it without discussion.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Okay, if the House agrees, we can pass it without discussion.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That this House approves the recommendations contained in para 51 (with modification of 3 years time limit to 9 years) and in paras 49, 50, 52, 53, 54, 55 and 56 of the English Report of the Railway Convention Committee (1999) appointed to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues etc., which was laid on the Table of the Rajya Sabha on 24.07.2003."

The motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION

On the situation in Assam and Bihar due to Railway Recruitment Policy

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Suresh Pachouri.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति महोदय पिछले कुछ दिनों से असम और बिहार में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, वे निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत चिंताजनक हैं। हमारे देश के जो पूर्वोतर राज्य हैं, जिनमें प्रमुख रूप से असम जो है, वह अत्यंत संवेदनशील है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) पीठासीन हुए।

इसलिए इन राज्यों में हुई घटनाओं का जब हम जिक्र करें उसकी पृष्ठभूमि में जाएं और उन घटनाक्रमों का उल्लेख करें तो यह आवश्यक हो जाता है कि हम भावावेश में ऐसी कोई बात न करें जिससे इस देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो, जो सहिष्णुता और भाईचारे का रिश्ता विभिन्न प्रदेशवासियों के बीच में है, वह प्रभावित हो। इसलिए जब ऐसे संवेदनशील राज्यों में हुए घटनाक्रमों का हम जिक्र करें तो बहुत संजीदगी बरतना आवश्यक है। चाहे हम हिन्दी गैर हिन्दीभाषी की बात करें चाहे हम बिहारी असमी परिधि की बात करें मेरी ऐसी मान्यता है कि जब संवेदनशील राज्यों में ऐसी दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटित हों तब एक तो हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह कैसे सुनिश्चित किया जाए? जब हम उस पर चिंता व्यक्त करें तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन किस ढंग से कर सकें यह मापदण्ड बनाया जाना भी बहुत आवश्यक है। जब ऐसी चर्चा हो तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि राजनीतिक परिधि को लांघकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर हम इस पर चर्चा करें। तब प्रश्न पूरे देश की एकता और अखण्डता का आ जाता है जब हम यह कहते हैं कि हमारा देश अनेकता में एकता का प्रतीक है। तब प्रश्न यहां से जुड़ा हुआ आ जाता है। मान्यवर बात असम में रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी से संबंधित बात से शुरू हुई कि किस ढंग से ग्रुप ''सी'' ग्रुप ''डी'' कैटेगिरी के अंतर्गत आने वाले लोगों को जॉब्स मिलनी थी। और इसके लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाने बहुत जरूरी थे। एक पॉलिसी थी जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि जो लोकल लोग होंगे हम उन्हें प्राथमिकता देंगे उन्हें वरीयता देंगे। इस प्रकार की बातों का उल्लेख समय-समय पर इस सदन में जो रेल मंत्री समय-समय पर रहे हैं उन्होंने भी किया है। जैसे मो. शफी कुरैशी साहब ने 1971 में, जब असम में रेलवे विभाग में जॉब देने की बात आई तब इस बात का उल्लेख किया था कि वहां के लोकल लोगों को प्राथमिकता देंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर 1998 में जारी किया गया था, उसका उल्लेख किया। इसमें उन्होंने इस बात को अपने एक अलग ढंग से उद्धृत किया है मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता बल्कि यह अनुरोध करना चाहता हूं कि कई बार ऐसा वक्त आता है जब समय और परिस्थितियों के हिसाब से हमें अपने निर्णयों में तब्दीली करनी पड़ती है। मैं समय और परिस्थिति का जिक्र कर रहा हूं तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां हैं कि नॉर्थ-ईस्ट रीजन, जो संवेदनशील है जहां की अपनी कोई भावना है उन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्या हम उस बी.ओ.पी.टी. के द्वारा जारी सर्कुलर में आज की परिस्थितियों के हिसाब से कोई परिवर्तन कर सकते हैं? यदि हम ऐसी आवश्यकता महसूस करें तो मैं सोचता हूं कि उस दिशा में तत्काल कदम उठाए जाना चाहिए। महोदय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि किस सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या कदम नहीं उठाए। आज अगर हम उन सब चीजों में जाएंगे तो निश्चित रूप से हम वह सब उम्मीद नहीं कर सकते जिस उम्मीद से हम यह चर्चा कर रहे हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज यह बात कही जा सकती है कि असम सरकार को समय रहते जो कदम उठाने चाहिए थे, वे कदम नहीं उठाए। फिर बात यह भी कही जा सकती है कि असम सरकार ने जो पैरा मिलिट्री फोर्स मांगी थी, वह पैरा मिलिट्री फोर्स समय रहते उपलब्ध नहीं कराई गई। लेकिन मैं यह जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि असम के मुख्यमंत्री ने वहां पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति बन रही थी उसे ध्यान में रखते हुए अनेक बार अनेक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखे। खासतौर से नवंबर माह में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को अनेक पत्र लिखे गए। उसमें यह भी जिक्र किया गया कि लोकल लोगों को जॉब में रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, दूसरा पर्याप्त पैरा मिलिट्री फोर्स उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात यह है कि सैंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्सेस को लगभग 180 कंपनीज, जो असम की स्थिति को देखते हुए उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी ताकि

वहां कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके, वहां मात्र 111 कंपनीज प्रोवाइड की गईं। बाकी की वहां कमी रही। संभवत: चुनाव थे इसे दृष्टिगत रखते हुए यह कमी रही हो और अन्य कारणों से रही हो लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि असम सरकार के जानिब से जो कदम समय रहते वहां उठाए जाने चाहिए थे, उनके पास पैरामिलिट्री फोर्स की जो उपलब्धता थी, उसे दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने उठाने की कोशिश की।

मान्यवर, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे सदन के विपक्ष के नेता आदरणीय डा॰ मनमोहन सिंह जी यहां मौजूद हैं बल्कि वह आवश्यक और इस संदर्भ से जुड़ा हुआ पहलू है। 19 नवंबर को इस प्रकार की घटना हुई और 20 नवंबर, 2003 को आदरणीय डा॰ मनमोहन सिंह जी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर श्री एल॰ के॰ आडवाणी जी को पत्र लिखा और उन्होंने उस घटना के प्रति चिंता जाहिर करते हुए, उनसे अनुनय-विनय की कि अतिरिक्त जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं वे वहां उपलब्ध की जानी चाहिए और उसके लिए उन्होंने यह भी उनका ध्यान आकर्षित किया कि 180 कंपनीज वहां डिप्लोय की जानी चाहिएं थीं उसके मुकाबले में मात्र 111 कंपनीज हैं। मैं उसमें उसके पैरा 2 को कोट करना चाहूंगा:

"That State Government is facing serious problems due to the shortage of CRPF personnel in the State. The State Government has informed me that although the assessment of the Ministry of Home Affairs is that the requirement of CPMF deployment in Assam is 180 companies, the present CRPF strength has been reduced to 111 companies, and at present, all the 22 training reserve companies have been withdrawn from Assam due to elections in different States."

यह उन्होंने उस समय इस बात का जिक्र अपने पत्र के द्वारा माननीय उप प्रधानमंत्री जी को किया था, जिस पर समय रहते कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए।...(**व्यवधान**)

श्री स्वराज कौशल (हरियाणा): सर, कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जैसे सीआरपीएफ की प्रेज़ेंस के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस की रेक्वायरमेंट के बारे में, आज रेलवे मिनिस्टर यहां बैठे हैं। जो मुद्दे पचौरी जी उठा रहे हैं, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। बेहतर होगा अगर होम मिनिस्ट्री, मिनिस्टर ऑफ् स्टेट फॉर होम या गृह मंत्री खुद हाउस में हों, क्योंकि ये बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं, इनके ऊपर रेलवे मिनिस्टर साहब अकेले कैसे जवाब देंगे। मेरा सरकार से निवेदन होगा कि They should ensure the presence of the Minister of Home or the Minister of State for Home; otherwise, all these things will go unanswered.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आपकी बात सही है। अहलुवालिया जी, माननीय गृह मंत्री जी को या गृह राज्य मंत्री जी को या किसी को भी बुलवा लें।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड) : हम खबर भिजवा देंगे।

श्री सुरेश पचौरी : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो रेल मंत्रालय से संबंधित हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस के डिप्लोयमेंट से संबंधित हैं, जिसका निस्संदेह उत्तर गृह मंत्रालय के जरिए ही आना है। तो यह जो माननीय कौशल जी ने बात उठाई है, मैं सोचता हूं कि वह एक सामयिक बात है और मुझे विश्वास है कि जब इस चर्चा पर उत्तर दिया जाना होगा तो उसका उत्तर यहां एक तरफ रेल मंत्री देंगे, वही दूसरी तरफ गृह मंत्री जी भी देंगे। इसके साथ-साथ मैं यह भी विनती करना चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं अगली बात कहूं, जब मैंने प्रारंभ में यह बात कही कि कुछ ऐसे मसले होते हैं जिसमें हमें बहुत गंभीरता से देश की एकता और अखंडता को दृष्टिगत रखते हुए अपनी चर्चा सीमित रखनी चाहिए तो वहीं हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि इस चर्चा के बाद हम सामूहिक रूप से मिल जुलकर, एक रेज़ोल्यूशन पास करें, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि इस देश की एकता, अखंडता को दृष्टिगत रखते हुए, खास तौर से पूर्वोत्तर राज्य की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए, हमें किस ढंग से पहल करनी चाहिए, सामयिक कदम उठाना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार से किसी की भी भावना को चोट न पहुंच पाये और किसी भी प्रकार से हम राज्य की सीमाओं से परे रह कर, विचार न पनप पायें, इस पर अंकुश रखें। इन सब बातों का समावेश करते हुए यदि इस चर्चा के बाद में हम लोग एक रेज़ोल्यूशन, पूरा सदन मिल-जुल कर पास करे तो मैं सोचता हूं कि इस चर्चा की सार्थकता भी झलकेगी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग यह चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि डा॰ मनमोहन सिंह जी ने इस पत्र में यह लिखा था कि राज्य सरकार के पास जितनी कानून व्यवस्था की स्थिति को यद्यपि वह कंट्रोल कर रही है, लेकिन जितनी पैरा मिलिट्री फोर्सेस की उपलब्धता होनी चाहिए, वह किसी कारण से उपलब्ध नहीं है। और कुछ ऐसे बैड आर्गेनाइजेशंस से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपत्तिजनक गतिविधियों में लिप्त हैं, जिसमें उल्फा खास तौर से है। उन सब को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पैरा मिलिट्री फोर्सेस की उपलब्धता कराई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि उस राज्य में जो एक चुनौती उत्पन्न होती जा रही है, उसका कारगर रूप से सामना किया जा सके। उस पर मैं सोचता हूं कि समय रहते कदम उठाया जाना जरूरी था। लेकिन मैं उसकी निंदा न करते हुए केवल यह अपेक्षा करना चाहूंगा कि ऐसे राज्य जहां इस प्रकार की गतिविधियां चलती रही हैं और चलते रहने की संभावना हो सकती है, उन राज्यों में जब इस प्रकार की घटनाएं हों... । तो उन पर अंकुश लगाए जाने के साथ-साथ एहतियातन् कदम पहले से उठाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यद्यपि राज्य सरकार ने जिक्र किया है कि 57 लोगों की हत्याएं हुईं और लगभग 285 लोग घायल हुए जब कि समाचार पत्रों में बताई गई संख्या उस से ज्यादा है। असम सरकार द्वारा वहां करीब 15 राहत शिविर खोले गए, लेकिन उल्फाइयों द्वारा जो करीब 40 लोग मारे गए हैं, जिन का जिक्र गृह मंत्री जी ने उस सदन में किया है, उस के लिए

अंकुश पैरामिलिटरी फोर्सेस के द्वारा लगाया जाना बहुत जरूरी था। मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि असाम में जो हिंसा हो रही है, हम उस हिंसा को केवल जातीय नजरिए से न देखें, उस को जातीय संज्ञा न दें बल्कि हमें यह देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की जो हिंसा उत्पन्न की जाती है, उस पर अंकुश लगाया जाय। मान्यवर, एक बात और आई कि रेलवे मंत्रालय में सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट्स लंबे समय से खाली पड़ी थीं जिन को समय रहते भरना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूं कि 27-28 हजार से ज्यादा संख्या में ये पोस्ट थीं। इसके अतिरिक्त जो इस प्रकार की घटना होती है, मैं वापिस उसी बात पर आता हूं, उस में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हम लोग रीजनल एक्सप्रेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की स्थिति में न पहुंचें और जब हम अपनी बात कहें, एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, लेकिन रीजनल फीलिंग्स को उभारने में अगर उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट का काम किया तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि हम किसी प्रकार की जिम्मेदारी से विमुख हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रेलवे विभाग को भी इस दायरे से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कोई मंत्री किसी प्रदेश से आता है तो उस मंत्री को उसी प्रदेश का माने जाना लगता है। ठीक है, इस से इंकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस की कार्य-प्रणाली, उस की गतिविधि और उस के कार्यकलाप ऐसे नहीं होने चाहिए जो यह प्रदर्शित करें कि वह उस राज्य के हितों पर ही सीमित होकर रह गए है। मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी पर किसी प्रकार का लांछन या दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, वह सम्मानित हैं और न मैं उन से यह अपेक्षा करता हूं कि वह इस सीमा में रहकर काम करेंगे। वह इंजीनियर हैं, सूझबूझ वाले हैं, वह सीमित दायरे और एक संकुचित दृष्टि से काम नहीं करेंगे, यह मैं उन से अपेक्षा करता हूं। लेकिन फिर भी यदि ऐसा पब्लिक परसेप्शन बन जाय तो उस पब्लिक परसेप्शन से जो पॉलिटिकल लाइफ में है, उस को उस प्रकार का संदेश देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वैसा परसेप्शन न बने। मैं उन पर किसी प्रकार से आरोप लगाने की धृष्टता नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह बात जब बन जाता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिस पर किसी प्रकार का लांछन न लगा हो, बहुत कष्टप्रद हुआ करता है।

मान्यवर, रेल विभाग एक ऐसा विभाग है और स्वयं मंत्री जी ने जब रेल बजट प्रस्तुत किया है तो इस बात का उल्लेख किया है कि यह ऐसा विभाग है जो पूरे देश को जोड़ता है। जब रेलवे कम्पार्टमेंट में लोग यात्रा करते हैं तो उसमें कोई बंधन नहीं रहता है कि इस में हिंदू बैठेगा या मुस्लिम बैठेगा या क्रिश्चियन बैठेगा या आसामी बैठेगा या हिंदी भाषी बैठेगा या बिहारी बैठेगा या गैर हिंदी भाषी बैठेगा। उस में जो पैसेंजर होता है वह भारतीय होता है। इस तरह रेल विभाग है ऐसा विभाग है जो पूरे देश को जोड़ता है। यह बात सही है कि हमारे इस रेल विभाग में जब 16 जोंस की स्थापना की बात आती है और उस में से जब किसी खास राज्य की बात आए तो उस के पीछे किसी को रेजिगनेशन देना पड़े, किसी को धरने पर बैठना पड़े और धरने के बाद फिर से मंत्रिमंडल में आकर विभाग में शामिल होना पड़े तो निश्चित रूप से वह बहुत सोचनीय बात होती है, गौर करने वाली

बात होती है क्योंकि देश के जो 16 जोंस हैं और रेलवे के 67 डिवीजंस है, उन में से 49 ऐसे हैं जो किसी राज्य की परिधि में नहीं बंटे हुए हैं। महोदय, राज्य की सीमाओं को लांघते हुए वे 49 डिवीजन होते हैं। फिर किसी राज्य विशेष के मामले में जोन की स्थापना को लेकर यदि कोई हठधर्मिता करे, उस समय कुछ बोले और मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद उसके द्वारा कुछ और बोला जाए, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उन पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है, इस पर विचार करने की जरूरत है।

मान्यवर, यह जो घटनाक्रम घटित हुआ, इसके पीछे रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी। रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अनुसार जो ग्रुप डी कैटेगरी के लोगों के एपायंटमेंट का है, उसमें यह बात सामने आई कि जनरल मैनेजरों को कुछ पावर दी गई थीं सीधी भर्ती की और उसमें कंपेशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति की कुछ पावर भी दी गई थीं। मैं यह नहीं कहता कि ये पावर कब से दी गई, किसके द्वारा दी गई, लेकिन अगर यह बात आ जाए कि जनरल मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शन्स दी जाती थीं और उन इन्स्ट्रक्शन्स का पालन करने के लिए जनरल मैनेजर्स बाध्य होते थे तो एक प्रकार का कोहरा छा जाता है। अब उस कोहरे को कैसे छांटा जाए? यदि इस दायित्व का निर्वहन समय रहते हो जाता है तो मैं सोचता हूं कि कई प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से हम लोग बच सकते हैं।

मान्यवर, असम में खासतौर से बोगोईगांव में जब इससे संबंधित घटना हुई और यह पाया गया कि वहां पुलिसकर्मियों ने समय रहते जो कदम उठाए जाने चाहिए थे नहीं उठाए, उसमें शिथिलता बरती गई तो मैं यह बात इस सदन के रिकार्ड में लाना चाहूंगा कि तत्काल वहां की जो असम की सरकार है उसने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की? इसके अतिरिक्त मैं यह भी सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा कि असम के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों जो यह घटना हुई थी, उसके लिए 10 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग की है। जब इस समय इस विषय पर यह चर्चा हो रही है तो मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि जो क्षतिपूर्ति है उसकी कोई सीमा नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी तत्काल वह क्षतिपूर्ति कराई जाए। यह जरूरी है कि यह जो तमाम घटना घटित हुई है, इस पर जिस किसी भी प्रकार से, किसी भी ढंग से मरहम लगाई जा सकती है, लगाई जाए।

मान्यवर, दूसरी बात आती है बिहार की। मैं बिहार के जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव जी, उनको सदन के माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस घटना के बाद एक दूरदर्शिता का परिचय दिया। उन्होंने एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए और शांति बहाली के लिए एक सीमित दायरे में न रहकर, एक सीमित परिधि में न बंध कर जो कार्य किया उससे एक बहुत ही संयम भरा और संजीदगी का परिचय उन्होंने दिया। इस घटना पर कैसे काबू पाया जा सके, कैसे शांति स्थापित की जा सके, उस दिशा में उन्होंने जो पहल की, उससे वे बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही वे लोग भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस घटना के बाद आग में घी डालने का काम न

करके शांति बहाली के लिए देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को दृष्टिगत रखते हुए अपने कर्त्तव्य का निर्वहन किया।

मान्यवर, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जो देश को अलगाववादी रास्ते पर ले जा सकते हैं, इनको हम पटरी पर कैसे वापस लाएं, उसके लिए किस प्रकार से इस चर्चा में हम भाग लें, इस पर गंभीरता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें विचार करना है कि रीजनल हारमोनी के लिए, पीस मेण्टेन करने के लिए, यूनिटी मेण्टेन करने के लिए, इंटिग्रेटी मेण्टेन करने के लिए हम लोग किस ढंग से समर्पित भाव से अपने दायित्व का पालन कर सकते हैं। एक तरह हम इन घटनाओं को कैसे रोका जा सके, इनकी पुनरावृत्ति न हो और इन घटनाओं पर अंकुश कैसे लगे, यह विचार करें और दूसरी तरफ हम यह भी विचार करें कि ऐसे संवेदनशील राज्य, जिनमें असम जैसे राज्य आते हैं वहां इस प्रकार की घटनाएं पुन: न घटित हों क्योंकि जो पड़ोस के दूसरे देश हैं वे इन राज्यों में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, इन राज्यों में अशांति फैलाना चाहते हैं। इसलिए यह भी देखना जरूरी है ताकि उनके मनसूबे सफल न हों।

मान्यवर, आखिरी बात जो मैं यह कहना चाहता हूं, वह बिहार में अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना में काम कर रहे एक समर्पित अधिकारी श्री दुबे की जो जघन्य हत्या हुई, उससे संबंधित है। मैं सोचता हूं कि वह घटना हम सबके माथे पर कलंक है। एक ऐसा जीवंत व्यक्तित्व वाला आदमी-ईमानदार, कर्त्तव्यनिष्ठ, उसकी हत्या होना निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी माफिया ग्रुप के चेहरे को उजागर करता है और इसको बहुत अधिक गंभीरता से लिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है।

मान्यवर, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि श्री सत्येन दुबे ने प्रधानमंत्री कार्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में व्याप्त धांधलियों व भ्रष्टाचार की जो जानकारी गोपनीय पत्र के माध्यम से दी थी और अनुरोध किया था कि उसे गोपनीय रखा जाए लेकिन जब वह लीक हुआ तो उसकी परिणति क्या हुई। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उस पर समय रहते कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। उस माफिया पर अंकुश लगाने की जरूरत थी, जिसका जिक्र उन्होंने किया था। यह लोमहर्षक हत्याकांड ऐसी कई चीजें उजागर करता है। आज प्रश्न इस बात का नहीं है कि बिहार में जो इस प्रकार की हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लोमहर्षक घटनाएं हो रही हैं, असम में जो जातीय वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने की कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने कुचेष्टा की, केवल हम वहीं तक सीमित रहें बल्कि पूरे देश में, अनेक भागों में जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उन पर हम कैसे अंकुश लगाएं, उनको हम कैसे रोकें, इस सदन में यह विचार करने की जरूरत है और इस सदन के माध्यम से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर हमें यह संदेश देने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की घटनाओं को हम सहजता से नहीं लेते हैं, बल्कि गंभीरता

से लेते हैं। धन्यवाद।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: उपसभाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं असम में और बिहार में घटित हुईं, उनके बारे में इस सदन में चर्चा हो रही है। जो भी घटना घटी है, वह भारत के किसी कोने में भी घटती, वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूं कि इस की भर्त्सना जितनी कड़ी से कड़ी भाषा में भी की जाए, वह कम है।

महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने इसकी भर्त्सना की किन्तु उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल भी उठाए जिनको सुनकर आदमी सोचने पर मजबूर होता है कि आखिर ये घटनाएं घट क्यों रही हैं। क्या हमारा वह नारा, जिसे हम रोज कहते थे-यूनिटी इन डाइवर्सिटी, समाप्त हो गया है, वह टूट गया है? जिस वक्त ब्रिटिश साम्राज्यवाद की गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए स्वतंत्रता के आन्दोलन में हम जूझ रहे थे, उस वक्त किसी असमी ने, किसी बिहारी ने, किसी पंजाबी ने या किसी बंगाली ने या किसी गुजराती या मद्रासी ने यह नहीं सोचा कि मैं अपने इलाके को आजाद कराने जा रहा हूं। सबका सपना था कि मैं अपनी भारत माता को आजाद कराने जा रहा हूं और आज उस आजाद भारत में एक ऐसा भाव जाग रहा है कि दूसरे राज्य में आदमी जब नौकरी के लिए जाता है तो उसको कहते हैं कि ही इज़ नॉट ए सन ऑफ दि सोएल। कौन है सन ऑफ दि सोएल? मैं जीता-जागता उदाहरण हूं। मैं पिछले 17 साल से इस सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। कोई अगर मेरे से पूछे कि आपकी क्या मजबूरी थी, आप बिहार क्यों गए तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि यह मजबूरी मेरी नहीं थी, यह मजबूरी मेरे ऊपर थोपी गई थी क्योंकि जब मेरे पूर्व पुरुष आजाद भारत की खुशियों में भंगड़े डाल रहे थे, उस वक्त देश का बंटवारा हो गया। हमारा सब कुछ होने के बावजूद सब कुछ छोड़कर हमें बंगाल में या बिहार में जाकर आश्रित होना पड़ा। और वहीं जीवनयापन करना पड़ा और वहीं पढ़ाई-लिखाई करके बड़े हुए और आज अगर कोई मेरे सामने यह सवाल खड़ा कर दे कि That you are not son of the soil, or, you are a Punjabi; you are not a Bihari, or, you are a Punjabi, not an Assamese. तो बड़ा दुर्भाग्य होगा और यह आवाज असम से उठी जहां कामाख्या का मंदिर है, जहां गुरु गुरनानक का धुबड़ी साहब है, जहां वशिष्ट मुनि का आश्रम है, जहां पांडवों का स्थान है, उसी जगह से आवाज उठे तो महोदय, दुख लगता है और दुख इस बात का लगता है कि इससे पहले इसी माले गांव से, जो रेलवे का हैडक्वार्टर है पांडु का पास में, मैं रेलवे मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि 1960 के दशक में असम से बंगाली खदेड़ो आंदोलन शुरू हुआ। उसका मूल कारण क्या है? उस मूल पर जाइए, उस रूट पर जाइए। रूट क्या है महोदय? रूट है जिस दिन हमारे भारत ने, हमारे पूर्व पुरुषों ने राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर किया उसी दिन उसकी बुनियाद पैदा हो गई। भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना ही हमारी एक बहुत बड़ी गलती थी और इस तरह से जो हम लोग आए दिन देखते हैं कि भाषा को लेकर हमारे बीच में तीखी नोक-झोंक होने लगती है उसका यही मूल कारण है।

महोदय, दूसरा कारण है imbalance of development, regional imbalance मैं पूछता हूं कि क्यों इस भारत में एक इलाका सुखी सम्पन्न है, साधन सम्पन्न है दूसरा इलाका नहीं है। क्यों? कभी-कभी कांस्टीट्यूशन में जब मैं यह बात पढ़ता हूं कि इंडिया मीन्स भारत तो मुझे लगता है कि भारत के दो मुंह हैं। एक मुंह कालाहांडी को दर्शाता है। कालाहांडी उन गरीबों को दर्शाता है जहां जड़-मूल खाकर जिंदगी यापन करते हैं और जब कहीं-कहीं जड़-मूल भी नहीं मिलते तो भूखे मर जाते हैं, और दूसरा मुंह उस इंडिया को दर्शाता है जिसको हम मुम्बई कहते हैं, चंडीगढ़, कहते हैं, बंगलौर कहते हैं, हैदराबाद कहते हैं। यह इम्बेलेंस आफ डवलपमेंट क्यों हुआ? जो हमारे लोग प्लानिंग कमीशन में थे या जो हमारे लोग सत्ता में थे बाहुबली थे वे बड़े-बड़े कल-कारखाने अपने इलाके में ले गए। बड़े-बड़े रोजगार के उद्यम अपने इलाके में ले गए और दूसरे इलाके पिछड़ गए। आज हालात क्या है, कौन सा राज्य ऐसा है या कौन सा घर ऐसा है? कोई घर तो ऐसा है कि जहां 100 फीसदी लोग बेकार हैं अन्यथा सब घर ऐसे हैं जहां 70 से 75 फीसदी लोग बेकार हैं। महोदय, बेकारी का कारण क्या है कि वे डवलमेंट किनारे-किनारे ले गए। ब्रिटिश साम्राज्यवाद आया था। हमारा शोषण करने आया था, आर्थिक शोषण करने आया था। मैं समझता हूं कि उन्होंने मेट्रोपॉलिटन टाउन, प्रेसीडेंसी टाउन—मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इलाहाबाद की जो कल्पना बनाई, उसके पीछे उनका कारण था कि वे पोर्ट एरिया से या एक ऐसे एरिया से जोड़ना चाहते थे कि यहां की जो धन सम्पदा है वे समुद्र के रास्ते से ले जाएं और रेलों का जाल भी वैसा ही बिछाया कि जो धन सम्पदा है वह पोर्ट तक पहुंच सके या उनकी आरामगाह तक पहुंच सके। मैं कभी-कभी सोचता हूं कि पहले एक कालका मेल चलती थी। पता नहीं आज भी उसका नाम सुपर मेल है या नहीं, मेरे को नहीं मालूम। पर कालका मेल जो चलती थी शिमला जाने के लिए अंग्रेजों के लिए, स्टैंडिंग इस्ट्रक्शन्स हुआ करते थे कि जिस इलाके से गुजरेगी क्योंकि उसमें अंग्रेज जाते थे, उस इलाके के डिवीजनल मैनेजर को कंट्रोल रूम में उपस्थित रहना पड़ेगा, चाहे वह रात में गुजर रही हो या दिन में गुजर रही हो या किसी वक्त गुजर रही हो। आयाम जो वह था। पर पिछले पचास वर्ष हम भी उसी रास्ते पर लगे रहे। मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि लोगों ने सीआरपीएफ नहीं भेजी पैरा मिलट्री फोर्स नहीं गई इसलिए लोगों को नहीं बचाया जा सका। गरीब बिहारी जो पहाड़ काटने के लिए वहां गये, आज से नहीं, पिछले पचास-सौ वर्षों से वहां हैं, दो सौ वर्षों से वहां हैं, पहाड़ काटते हैं, चाय बागान में काम करते हैं, उनको बिहारी भाषा नहीं आती है, वे वहां की भाषा बोलते हैं। जब उनका टाइटल पूछो तो फलाना ताती, फलाना पासवान अरे कहां घर है? मैं जब उनसे बिहार की लोकल लैंग्वेज में पूछता हूं तो वे जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए उनसे असमी भाषा में पूछना पड़ता है कि यहां तो तांती होते नहीं हैं, यहां तुसाज यहां हौता नहीं, पासवान यहां होता नहीं, तुम कहां से आये, मुंडा कहां से आये? हमारे झारखंड के इलाके के और बिहार के लोग पहाड़ काटने का काम, चाय बागान में काम, कोयला खदान में काम, पत्थर काटने का काम सैकड़ों वर्षों से कर रहे हैं। जब उनको जिंदा जलाया जा रहा है उस वक्त वहां का मुख्य मंत्री गुहार कर रहा है कि मुझे सीआरपीएफ नहीं भेजी जा रही है। दुर्भाग्य

3.00 P.M

है। महोदय, दुख लगता है, कष्ट लगता है। मैं जब कहूं कि नीली की घटना घटी थी, जब सैकड़ों आदिवासियों को काटकर ट्रेंचेस में भर दिया था तब तो सीआरपीएफ उपस्थित थी उसके बावजूद क्यों यह घटना घटी? हमको यह नहीं कहना चाहिए कि साहब पुलिस नहीं थी इसलिए कार्यवाही नहीं हो सकी। मैं कहता हूं कि पुलिस हो या न हो, वातावरण क्यों ऐसा बने? पुलिस का काम है चोर को पकड़ना, उसको सजा दिलाना। हत्यारे को पकड़ना, उसको सजा दिलाना। किन्तु हत्या होने का वातावरण क्यों हो, दंगा-फसाद का वातावरण क्यों हो? वैसा माहौल क्यों बने? जमालपुर में जो घटना स्टेशन पर घटी, ट्रेन को रोककर, उस घटना की वकालत करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता है, यह कलंक है बिहार के माथे पर। जिस बिहार ने सारे विश्व में सबसे पहली रिपब्लिक वैशाली दी, जिस बिहार ने इस राष्ट्र को सबसे पहला राष्ट्रपति दिया हो, वह बिहार जहां महात्मा गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ हो, वह बिहार जहां पर महावीर पैदा हुये हों, वह बिहार जहां पर गुरू गोविंद सिंह पैदा हुये हों, उस बिहार में इन लोगों ने तो बहू बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा करने के लिए किया और उस जमालपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर ऐसी घटना घट जाये, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। हमारे बिहार विधान सभा के विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी जी जब अपने छह विधायकों को लेकर आसाम पहुंचे और जब वहां की जनता के साथ में, उनके दुख में शरीक हुये, उनको सांत्वना देने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए और जब उनको यह बात पलटकर सुननी पड़ी तो दुख उनको भी बराबर ही हुआ और उनके दुख में जाकर भी वे शरीक हुये। वे एक हीलिंग टच के मिशन को लेकर गये थे। महोदय, मेरा कहना इतना ही है कि सदन में आज इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। यह घटना है उसकी भर्त्सनाा हम करें। सदन में यह चर्चा करने की जरूरत है कि हम कालाहांडी का और दिल्ली का या मुम्बई का जो फर्क है, उसको कैसे कम करें ओर विकास कैसे हो। यह जो रोजगार है—रोजगार आज क्या रह गया है? रोजगार, या तो रेल का रोजगार, या सड़क का रोजगार। ये PSUs घाटे में चल-चलकर बंद हो गए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अन्तत: फैसला लेना पड़ा कि अब प्राइवेट बैंक भी आ जाएं। आज नौजवानों के दिमाग में, ज़हन में एक चीज बैठ गयी है पहली च्वाइस आदमी की क्या है, सबसे निक्कमे आदमी की—कि "हमरा सरकारी नौकरी दियाए दिओ। बड़ा भला हो जते। आहीं कर दियो, जुग-जुग तोरे नाम लेहो हम।" यानी सिर्फ हमें सरकारी नौकरी दिला दो। अरे भई, प्राइवेट नौकरी करो उसमें जॉब सिक्योरिटी है तो कहते है। "न, वहां काम लेवे छे, इहां काम नाहीं लेवे छे।" वहां प्राइवेट कम्पनी में काम करना पड़ता है और सरकारी कम्पनी में काम करने की जरूरत नहीं है, बिना काम के तनख्वाह मिलती है, सरकारी जवाईं बन जाते हैं। महोदय, इस चीज पर भी थोड़ा चर्चा करने की जरूरत है और मैं रेल मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि गैंगमैन की नौकरी के लिए आपने क्वालीफिकेशन दी कि आठवीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए। वहां पर सुना कि इंजीनियर ने, एमबीए ने, एमए पास ने, एमएससी पास ने भी एप्लीकेशन दी। ग्रेजुएट लोगों ने, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने भी

अपनी एप्लीकेशन भेजी। ...(व्यवधान)... महोदय, मेरा सिर्फ यही कहना है कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी जो हमारी आर्थिक अवस्था हुई है, यह पिछले 15 दिनों में नहीं हो गयी। अर्थात् अगर मैं पचास वर्षों के अंतराल को एक महीना गिनूं तो पिछले चार दिनों में यह अवस्था नहीं हुई है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कृपया समाप्त करें।

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया: आजाद भारत मे जिस दूरदर्शिता की जरूरत थी राष्ट्र निर्माण के लिए, उस दूरदर्शिता में कहीं न कहीं कमी रही और जो एक सशक्त भारत का निर्माण करने की जरूरत थी, जिस विज़न की जरूरत थी, उसमें अभाव रहा। अभी भी वक्त है कि हमारे नौजवान क्षेत्रीयतावाद और अलगाववाद में पड़कर, हाथों में एके-47 और एके-56 या ग्रेनेड न उठाएं। उनके हाथों में स्वरोजगार हो—अगर और रोजगार नहीं तो स्वरोजगार हो और वह पोटैंशियल हमारे भारत में है या भारत की धरती में है। उसका कोई रास्ता निकालने की जरूरत है। यही कहकर आपसे इजाजत चाहने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि सदन को चाहिए कि जिस तरह से बिहार के लोगों ने जाकर वहां कोशिश की, हमारे समता पार्टी के विधायक दल के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा जी वहां गए, सुशील कुमार मोदी गये, लालू प्रसाद यादव जी गए। लालू प्रसाद यादव जी ने जाकर जो वहां अपनी आर्टीकुलेट, I always call him that he is mercurial. जो आर्टीकुलेशन उनका है, उसके माध्यम से जो जादू उन्होंने वहां चलाया, उस जादू को चलाने के साथ साथ जरा सी पीठ दिखाई नहीं कि फिर चालीस लोग मारे गए। मैं कहता हूं कि यह इससे समाप्त नहीं होगा कि किन उद्देश्यों से यह हो रहा है? बेकारी रोज बढ़ेगी। पापूलेशन पर डिसकशन होनी चाहिए थी, नहीं हुई, फिर अगले साल एक और आस्ट्रेलिया भारत में पैदा हो जाएगा और यह जो विकराल रूप बेराजगारी का है, वह बढ़ता जाएगा। इसके लिए जो डिसकशन की जरूरत है या उसके लिए जो आयाम लेने की जरूरत है, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए और सदन सर्वसम्मति से एक संकल्प पास करे कि ऐसी घटना भारत में न हो और हम अपने आपको बंगाली, पंजाबी, असमी, मद्रासी, गुजराती, मराठी न बोलें। हम गर्व से कहें, सिर ऊंचा करके गौरव से कहें कि गर्व से कहो, हम सब भारतवासी हैं।

श्री दीपांकर मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल): महोदय, पहले तो मुझे दुख होता है कि the issue which we are discussing today, the Prime Minister had also told earlier on some occasion that कभी-कभी शर्म से सिर झुक जाता है। It is not a question. I am not going into the issue, whether it is Assam or Bihar. That something has happened in these parts in our country in Assam or Bihar इससे शर्म से सिर झुक जाता है But I will try to restrict myself to saying that it is due to the Railway Recruitment Policy. अहलुवालिया साहब ने जो अनएम्पलोएमेंट की बात कही। I think the House is going to discuss on Tuesday unemployment, a major issue. लेकिन यह कहना भी ठीक नहीं है कि सरकार में जो काम करते हैं वे काम नहीं करते हैं,

तो रेलवे का इतना बड़ा काम, रेलवे मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा रेलवे, जो सालों से world's biggest Railways in this country, would not have functioned if all the people who are working in the Railways had not gone there not to work. We should not make such a sweeping statement. मैं जिस मुद्दे और प्वाइंट पर आ रहा हूं उसमें एक शर्म की बात तो यह है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं। क्यों हुई हैं? पुलिस क्या है? that is not the issue. Why has this situation arisen? I am also sorry and I regret that Railway's name has come into it. लिंगुइस्टिक प्रॉब्लम्स, एथनिक प्रॉब्लम्स होते हैं, इसमें रेलवे का नाम क्यों आया?

Sir, I am the son of a railwayman यह कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है and he was not a very big officer. He was a Class III employee. पांडु से लेकर, मेरे पैदा होने के बाद, पूरा नॉर्थ-ईस्ट रेलवे था And lastly, he was posted in Mathura. जब मैं स्कूल में पढ़ता था, अलीपुरद्वार से he was transferred to Mathura. Railways and Armed Forces are unifying forces in our country — that is what I was made to believe. Today, why has it happened? रेलवे का नाम लेकर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं, इससे मुझे बड़ा दुख है As a railwayman's son, I fail to understand how is it that the opposite has happened. जो मिलाता था how could it divide?

One point which no one has touched clearly is unemployment. अनएम्प्लोएमेंट की बात कही but today, we are talking of jobless growth. It is not a jobless growth today; it is job-loss growth, whether it is private sector or public sector. I am not going into the details. for 20,000 posts, 75,00,000 अगर फिगर्स गलत हैं तो नीतीश जी क़रेक्शन कर लें। 75,00,000 लोग 20,000 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें सिर्फ बैकवर्ड स्टेट्स ही नहीं है सोकॉलड Even in Maharashtra, there is a demand that the Group D posts should be reserved for the local people. Maharashtra is not a BIMARU State. 75 lakh registered unemployed youth graduates for Group D posts? Is India shining really? Is India shining? क्या इससे हमारा सिर शर्म से नहीं झुक जाता कि 75,00,000 लोग 20,000 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ग्रुप डी एम्प्लोएमेंट के लिए from Maharashtra or Bihar or Assam someone has to go यह क्यों? Unless we address this problem, these major issues, it will remain increasing. यह रजिस्टर्ड है। अनएमप्लोएमेंट बढ़ रहा है, पंद्रह करोड़ हैं पूरे हिंदुस्तान में। हो सकता है कि असम में ज्यादा हो। बिहार में बीस लाख हैं, असम में सत्रह लाख हैं, बंगाल में और ज्यादा हों But the fact remains that this is a major issue and the diversions are these, ethnic and linguistic problems. These are the diversions, so that youth can be diverted from major issues.

छोटे-छोटे स्टेट्स जो इल्युजन क्रिएट करते हैं कि छोटा स्टेट होने से हो जाएगा। छोटा स्टेट होने से एम्प्लोएमेंट बढ़ गया? Bihar has lost a lot already because of its bifurcatjon into Bihar and Jharkhand. सब इंडस्ट्री वहां गया। जो इंडस्ट्री वहां थी वह भी बंद हो गई। बरौनी थी वह भी बंद हो गई और भी कुछ बंद होने वाला है। आगनवाला फैक्ट्री है। मैन्चुफैक्चरिंग प्रमुख है, वहां मुजफ्फरपुर मे, वह भी बंद होने वाला है। जॉब लोस हो रहा है।

It is not jobless growth only. This is the major issue on which certain groups would always try to take advantage of separatist forces, divisonary forces and communal forces. All these forces will try to get this issue diverted from the main economic issues to these issues. मुझे रेलवे से एक ही दुख है, how has the Railways come into the picture? It is a sorry state of affairs. In the 50's also, when my father was in Railways and from 70' onwards, there has been a trend in the Railways-let us admit it today-to associate the Railway Ministers with the State. It has started in the late 70's. रेलवे मिनिस्टर, जैसे इंडियन टीम के साथ सिलेक्टर होता है, ईस्टर्न जोन का सिलेक्टर होगा he is expected to get some players in the Cricket team from the Eastern Zone. A Railway Minister from a particular State, for political reasons or whatever, is also expected to do something for that State. This is the public perception. And the public perception has growth to such an extent as we have seen. I have been in my State, the Bengal package for Railways. Our Prime Minister could have talked about it. This is happening openly. This has become a common perception that the Railway Minister is becoming State-centric, rather than Centre-centric, Shri Nitish Kumar may be trying. He is a political veteran. Whatever I say, he will reply to that. But I want something else. Let us do some introspection to find out where we have erred. Just today, I was referring to him. I know he was not aware. But the way people are coming. बिहार की वैगन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो वह बंद होने वाली है। बंद बिहार का भी हो रहा है और बंगाल का भी हो रहा है। Nitish Kumar Ji, the Railways is going to take over. न्यूज आ गया।...(व्यवधान)... पहले रवि शंकर प्रसाद जी के पास गए थे और नीतिश के पास भी हम गए थे। साहब वह जो है बिहार वाला बरौनी चलेगा दुर्गापुर बंद हो जाएगा। हमने यही कहा था और हमारी पार्टी ने भी कि बरौनी भी नहीं चलेगा और दुर्गापुर भी नहीं चलेगा और कोई प्राइवेट फर्टिलाइजर फैक्टरी भी नहीं आएगी। If this policy goes on. Now, that is the major issue. न बिहार चला, न बरौनी चला, न दुर्गापुर चला। आज जो 17 लाख अनएप्लायड, ये बीस लाख हैं बिहार में, उसके ग्रुप डी के एम्पलाइज असम में है। असम के बिहार में जायेंगे। This is the major issue so

far as the employment policy is concerned, and today, the name of the Railways has come because it is the common perception. मुझे जिस बात का समझ में नहीं आ रहा है.....(**व्यवधान**)...

श्री एस. एस. अहलुवालिया: नहीं, इन्होंने फर्टिलाइजर के बारे में बात कही है। बड़े विद्वान आदमी है, इंजीनियर है। उस फर्टिलाइजर की लड़ाई में मैं इनके साथ ही था। किंतु हमारे दोनों में यह भी चर्चा होती है कि यह जो टैक्नोलोजी जब लाई गई, सलैक्ट की गई, यह ओब्सलीट टैक्नोलोजी लाई गई।...(**व्यवधान**)... इसके लिए भी किसी को एकाउंटेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए भी एकाउंटेबल करना चाहिए। यह राष्ट्र का पैसा लगता है और दस साल बाद वह ओब्सलीट हो जाती है और वहां के लोग बेकार हो जाते है। इसके लिए भी थोड़ा एकांउटेबल होना चाहिए।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: That is a different thing. That is not the issue. ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): सही बात है, यह इश्यू नहीं है।...(**व्यवधान**)...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: That was not the issue. The issue is, this public perception that if he belongs to that State, he should be rehabilitated. हम जब छोटे स्टेट की बात करते है।

If we create an illusion that if small States are there, the local people will get the jobs. This is the perception, whether we admit it firmly or not. We had all the time opposed it. 15 करोड़ अनरजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, छोटा स्टेट बनाने से लोगों की नौकरी मिल जाएगी If you create an illusion, then the opposite will happen if the illusion is not fulfilled. अब अपना सपना दिखायेंगे और उसको फुलफिल नहीं कर पायेंगे, तब यह सब चक्कर होगा। So, my point is, the problem lies somewhere else. अब जब यह रेलवे के रेक्रूटमेंट का प्वायंट आया, यह पहले क्यों आया कि बिहार से लोग जा रहे है। कहा गया कि बिहार में अनएम्लायमेंट बहुत ज्यादा है । महाराष्ट्र में कम है ऐसा तो नहीं है। रेलवे रेक्रूटमेंट पालिसी में। I do not agree with that whole perception. One of the live leaders from Maharashtra was talking about it. "Maharashtra for Maharashtra".

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra): It is absolutely wrong. This is not the position

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: If it is wrong, I will be very happy. I hope this is wrong. Every Indian has the right to work anywhere in India.

No one can challenge the constitutional right of any one. Whoever says anything, if it is wrong, it is wrong, I think, that resolution should also come. But this statement had come. मुझे तो हैरानी इस बात की है In respect of the recruitment of Group D employees, there are certain other policies. I know about the Group D employees in the public sector, that is, unskilled persons, gangmen and so on. रिजनल या लोकल एम्प्लायमेंट एक्सचेजेंज के ऊपर भी डिपेंड करता है। That was the practice when I worked. Now, the things have changed. Due to economic reasons, it is absolutely impossible for a class-IV employee, who gets Rs. 4000/- as his pay, to maintain two established. If he goes from one corner of that State to another corner, he won't be able to maintain himself and his family. I do not know why this perception has totally changed, as it appears. इसमें रेलवे का जो डिवीजन है उसमें भी हमारा...(व्यवधान)... not on the basis of provinces. But somehow or the other, the formation of divisions by the Railways has also become State-economic. Demands are coming from different State capitals कि हमारा एक ऐसा रेल होना चाहिए, यह रेलवे डिवीजन हमारे यहां होना चाहिए। Earlier, it was not state-centric. It was, earlier, not a State subject. Somehow or the other, when we did the division, this State-centric business had come. So far as the recruitment is concerned, if it is division centric also, the local people can be employed. It is division-centric. यह रेलवे में पहले कभी नहीं होता था। Is this not a State railways? पहले जमाने में भी Bengal Railways, Nagpur Railways. were known by the States. It is in their wisdom that we had different zonal railways, zonal type-Eastern Railway, North-Eastern Railway, North-East Frontier, and the like. Today, all of a sudden a perception has come as if it has now become a State subject. That perception has to be changed so far as the Railways are concerned, because it unifies. It cannot be a State-centric. It has to be a unifying factor. Railway has been; it has to be. इसलिए रिक्रूटमेंट के बारे में, where I find fault with the Railway Minister, because he is veteran political leader,...(*Time bell)*

AN HON. MEMBER: Who?

SHRI DIPANKER MUKHERJEE: The Railway Minister. He is a veteran political leader. And he knows it that the sensitivity would be aroused once, you find all of a sudden, so many posts were to be declare. And in a local area, when a euphoria has been created with division-wise,

State-wise railways, why will the local employment not be there? That could have been taken care of, I think, by positioning the examining centres, in such a way that all of a sudden, you do not find the problem, which we have; they should not be denied jobs at places where the Recruitment Board office are there. In Maharashtra, in Bombay, these offices are there. Why was the type of—I am not saying it is a provocation—a situation created? How could the situation not be averted...(*Interruptions)* I do not think it is a psychological feeling. I do not say that the Home Minister has come. My major question still remains. Whether someone is going to come or not—the Finance Minister has to come to the House today. Dr. Manmohan Singh was there—some thinking has to be there. Some thinking has to be there on the major issue. It is not a sign of 75 lakh secured jobs and applicants for 20,000 posts? Is it not a warning to the whole nation? Is it only the question of law and order and security? I am sure, Sir, I can say with full confidence, I know the common man of Bihar, the common man of Assam, the common man of Maharashtra; they are not interested in that; they do not talk against each other. It is only some separatist forces, some microscopic minorities who are doing this. The common people of this country are united. The common people of this country are also united on this issue, that they want a secure job. Whether Mr. Ahluwalia wants is or not, a secure job is wanted by everyone. A Minister or an M.P. wants a fixed term of five years. Why? Why not for two years or three years? Sir, the security of job is something which we should not ridicule the way it has been ridiculed. Unemployment is not an issue which should be ridiculed. पॉपुलेशन बढ़ रही है, अन-एम्प्लायमेंट बढ़ेगी, सेल्फ एम्प्लायमेंट की बात हो What are all these things? Self-employment against whom? When the small-scale industries cannot complete with the multinationls, when the public sector undertakings cannot compete with the big companies, can a self-employed man compete with anyone? यह अगर होता था I am telling this—I am not an engineer—because I was unemployed for six months! I have worked for 20 years. Jibon Roy is there. अगर कोई बेकार रहता, then you could have said that saying all these things would not have been easy. If you do not know what unemployment means, if you do not know what poverty means, then it is very easy to say सेल्फ एम्प्लायमेंट, सेक्युर्ड जॉब की बात छोड़िए। Sir, again, I would like to appeal to the Railway Minister, please review the State centric railway policies; review the recruitment policy so that the

regional aspirations are also fulfilled, so far as the Group D employees are concerned.

And, lastly-which cannot be covered in this debate-regional balance of the development, the unemployment issue, and the major issue of the economic policy are there. If this economic policy goes on, there will be many small States, there will be Assams, there will be many Bihar, there will be many riots, job riots, power riots, water riots, and riots and riots. Thank you, Sir. †

شری ابو عاصم اعظمی ''اتر پردیش'' : آپ سبھاادھیکش جی، آسام میں جو ہوااور اس کے بعد مہاراشٹر میں جو ہوا، اس سے میں بہت دکھی ہوں۔

بھارت ایک سیکولر دیش ہے جہاں ۱۰۱ کروڑ لوگ رہتے ہیں۔ اس دیش میں ہر سو، دو سو، پانچ سو کلومیٹر پر الگ الگ بھاشائیں بولنے والے، الگ الگ سنسکرتی، الگ الگ رنگ، الگ الگ کپڑے پہنے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں۔ لیکن جب اس دیش کو الگ الگ راجیوں میں بانٹا گیا تو یہ سوچکر بانٹا گیا کہ الگ الگ راجیوں میں ایڈمنسٹریشن صحیح چلے۔ پھر راجیوں کو ضلعوں میں بانٹا گیا اور گاؤں میں بانٹا گیا۔ آج دیش کو آزاد ہوئے ۵۶ سال ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیش میں بڑا وکاس ہو گیا ہے، لیکن آج بھی غریب اور امیر کے بیچ میں، شہر اور گاؤں کے بیچ میں جو ایک گہری کھائی کھدی ہوئی ہے اور اس گہری کھائی کو پاٹنے کا کام نہیں ہوا ہے۔

مہودے، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، لیکن ہم لوگ آج گاؤں چھوڑ کر مہاراشٹر کے ممبئی شہر میں اپنی روزی روٹی کمار ہے ہیں۔ آخر ہمیں اپنا گاؤں چھوڑ کر جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں کہ گاؤں کا رہنے والا کسان کا بیٹا صبح سے شام تک کھیتی میں کام کرتا رہتا ہے، لیکن اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا لڑکی بڑی ہو جائے، جس کی شادی کرنی ہو تو اس کے گونے کے لئے، اس کے جہیز کے لئے جو پیسہ چاہئے وہ کسان اپنے کھیت کو بیچ کر اور اپنے اناج کو بیچ کر اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اگر گھر میں کسی کو دل کی بیماری ہو جائے اور اس کا آپریشن کرانا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کسان اپنے کھیت کو پورا بیچ دے تو بھی اس کا علاج نہیں کرا سکتا ہے۔ کسان کا بیٹا اپنے گھر کو، اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مجبوری میں شہر کی طرف آتا ہے۔ صحیح ہے، جہاں پانی ہوتا ہے وہیں پیاسا جاتا ہے۔ ہم کو اس پر گمبھیرتا سے سوچنا پڑے گا کہ جو آسام میں ہوا، ممبئی میں ہوا وہ دوبارہ نہ ہونے پائے۔ ابھی جیسا

†Transliteration of Urdu Speech.

مانیئے سدسئے نے کہا، اس پر سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہنے والے کسانوں کو، مزدوروں کو جو اس دیش میں ۷۰ سے ۷۵ فیصدی تک لوگ کھیتی میں لگے ہوئے ہیں انہیں روزگار دے سکیں۔ لوگ آج شہروں کے نام بدل رہے ہیں اس بارے میں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ۔

پرانے شہروں کے نام بدلنے سے کیا ہوگا

نیا کوئی شہر بساؤ تو کوئی بات بنے

مانیور، بمبئی کا نام بدل کر ممبئی، اورنگ آباد کا نام بدل کر سمبھاجی نگر، احمد نگر کا نام بدل کر نگر کرنے سے کسی کو روزی روٹی نہیں ملے گی۔ لوگوں کو روزی روٹی دینے کا کوئی نہ کوئی راستہ ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ جب اس دیش سے بیکاری ختم ہوگی تو اس دیش کے لوگ آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہیں گے اس کے ساتھ ہی یہ گاؤں اور شہر کے بیچ میں، غریبی اور امیری کے بیچ میں جو کھائی ہے اس کو پاٹنا پڑے گا ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ گاؤں میں لوگوں کے پاس بیس بیس کمروں کا گھر ہے دس دس، بیس بیس بیگھہ ان کے پاس زمین ہے، لیکن وہ اسے چھوڑ کر ممبئی میں چلے آتے ہیں۔ آج تو ممبئی کے لوگوں کی حالت اچھی ہے لیکن پہلے جب لوگ وہاں آتے تھے تو گاؤں سے کوئی چٹھی لایا اس پر لکھا ہوتا تھا، فلاں آدمی، فلاں اسپتال کا فٹ پاتھ، وہاں سے آیا آدمی پتہ لگاتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے، جس کے پاس بیس کمرے کا گھر، جس کے پاس بیس بیگھہ زمین، وہ بیچارہ اس کا ایڈرس ڈھونڈتا ہوا آکر رات کو سوئے ہوئے آدمی کا منہ کھول کر اس کو چٹھی دیتا تھا۔ اس کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہوتا تھا، لیکن ایسے لوگوں نے آج کی ممبئی کو بنایا۔ ممبئی کی کھائیاں، جہاں لوگ رہنے کو تیار نہیں تھے، اپنے سروں پر مٹی لا دلا د کر اسے پاٹا۔ آج وہی ممبئی اکونومکل سٹی بن گئی ہے اور اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے شمالی ہندوستانی لوگوں کو نکالنا ہے۔ اس سمبندھ میں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے۔ اس پر غور کرنا پڑے گا۔

مانیور، جہاں تک یہ ریلوے ریکروٹمینٹ کا معاملہ ہے، ۹ نومبر کو این۔ایس۔ ریلوے بھرتی بورڈ کے امتحان کے لئے آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے عرضی دی تھی جس طرح سے وہاں گھسنا گھسٹ ہوئی، ٹرین سے آئے لوگوں کو روکا گیا ان کو مارا گیا اور جو ہال میں پہنچے ان کے کارڈ پھاڑ دئے گئے، ان کے سامان لے لئے گئے ان کے پیسے لوٹ لئے گئے، پھر ۱۳ عورتوں اور ۲ بچوں سمیت ۶۰ لوگ مارے گئے، ۱۲۰ گاڑیاں تباہ کر دی گئیں، ۵۰۰ سے زیادہ بہاریوں کی گن گن کر جھونپڑیاں جلائی گئیں۔ یہ سب جو ہوا اس کے لئے بھارت ورش کی

شبیہہ پر ایک کالا داغ لگ گیا ہے۔ جو دیسپور میں پولیس کی موجودگی میں بہاریوں پر حملے ہوئے، الفا والوں نے ۲۵ لاکھ ہندی بولنے والے لوگوں کو وارننگ دی ہے، ان کو الٹی میٹم دیا ہے کہ تم لوگوں کو آسام چھوڑنا پڑیگا، اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں چاہونگا کہ اس پر ہوم منسٹر صاحب ہاؤس میں آکر آشواسن دیں کہ جو کچھ وہاں ہوا ہے ایسا آگے کچھ نہیں ہوگا۔ اس پر روک لگنی چاہئے۔

مہودے، ۲۳ر نومبر کو ممبئی میں ہونے والے ریلوے بورڈ کی بھرتی پریکشا میں جو لوگ

کہ وہاں پر نوکریاں ہیں تو وہاں کی ایک پارٹی نے جس طرح سے لوگوں کو روک روک کر مارنا شروع

سے ان کو بے عزت کیا، میرے پاس فوٹو ہیں، ڈنڈے لیکر کے مارا گیا، یہ ایک بہت ہی نندنی بات ہے اور ان پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ وہاں ایک پارٹی ہے، پہلے انہوں نے ساؤتھ انڈین کو مارنا شروع کیا کہ یہ ممبئی میں کیسے آگئے، اس کے بعد گجراتیوں کو مارنا شروع کیا، مسلمانوں کو مارنا شروع کیا۔ جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہاں سے بنگلہ دیشیوں کو نکالنا ہے تو ان کی زبان پر بنگلہ دیشی نہیں، بنگلہ دیشی مسلمان ہمیشہ رہا ہے۔ میں نندا کرتا ہوں اس کی اور ایسے لوگوں پر لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ یہ بھارت ورش کا سب سے بڑا سدن ہے اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر بنگلہ دیشیوں کو نکالنا ہے تو نکالیئے، لیکن جو لفظ 'بنگلہ دیشی مسلمان' استعمال کیا جاتا ہے، اس پر پوری بندش ہونا چاہئے۔ آج ان کا ایک نعرہ ہے .. دھرتی پتر۔ بھارت پتر کی کیوں نہیں بات کرتے؟ سن آف دی سوئل، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہئیں۔ ریل منتری جی یہاں بیٹھے ہیں، آپ اس کے لئے کچھ رول ریگولیشنس بنائیے۔ آپ این.ڈی.اے. میں شامل ہیں اور شامل ہونے کے باوجود جس طرح سے شمالی بھارتیوں اور بہاریوں پر انہوں نے کروڑ حملے کئے ہیں، یہ بہت نندا والی بات ہے اور اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ کہہ دیا کہ بہار اور اتر پردیش کے منتریوں کو ممبئی میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ کیا غلطی ہے ان کی؟ اگر یہی ہوتا رہا تو میزورم، میگھالے، اترانچل، ناگالینڈ، بہار وغیرہ تمام جگہوں پر تیاریاں ہیں اور یہ آگ پھیل جائے گی بہار میں کیوں کہ وہاں کتنے ہی بہاری کام کرتے ہیں، یہ آگ پھیل جائے گی کشمیر میں۔ یہ چیزیں اگر آگے بڑھیں گی تو نفرت بڑھے گی اور ان پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک کوئی بھی شخص کہیں

بھی جا کر روزی روٹی کما سکتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ۔

نہ میرا ہے، نہ تیرا ہے، یہ ہندوستاں سب کا ہے
نہ سمجھی گئی بات تو نقصاں سب کا ہے
ساگر سے جو ندیاں مل گئیں، دکھلائی نہیں دیتیں
مہاساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے

اسلئے یہ جو علاقائی لڑائیاں چھیڑی گئی ہیں ..... "وقت کی ضرورت" ..... خاص طور سے آج جو ممبئی میں چھیڑی جا رہی ہیں اور ممبئی کے غریب لوگ، جو فٹ پاتھ پر اپنی روزی روٹی کما رہے ہیں، ان کو جو پرکرانتی کے نام سے ڈرایا جا رہا ہے، میں سدن کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے۔

مہودے، آپ نے مجھے بولنے کے لئے وقت دیا، دھنیواد۔

"ختم شد"

†**श्री अबू आसिम आजमी (उत्तर प्रदेश)**: उपसभाध्यक्ष जी, आसाम में जो हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र में जो हुआ, इस से मैं बहुत दुखी हूं।

भारत एक सेकूलर देश है जहां 101 करोड़ लोग रहते है। इस देश में हर सौ, दो सौ, पांच सौ किलोमीटर पर अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग-अलग संस्कृति अलग-अलग रंग, अलग-अलग कपड़े पहने हुए लोग मिल जाते हैं। परंतु जब इस देश को अलग-अलग राज्यों में बांटा गया तो यह सोचकर बांटा गया कि अलग-अलग राज्यों में एडमिनिस्ट्रेशन सही चले। फिर राज्यों को जिलों में बांटा गया और गांवों को बांटा गया। आज देश को आजाद हुए 56 साल हो गए और हम कहते हैं कि देश में बड़ा विकास हो गया है, परन्तु आज भी गरीब और अमीर के बीच में, शहर और गांव के बीच में जो एक गहरी खाई खुदी हुई है, उस गहरी खाई को पाटने का काम नहीं हुआ है।

महोदय, हम गांव के रहने वाले हैं, लेकिन हम लोग आज गांव छोड़कर महाराष्ट्र के मुम्बई शहर में अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। आखिर हमें अपना गांव छोड़कर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि गांव का रहने वाला किसान का बेटा सुबह से शाम तक खेती में काम करता रहता है, परन्तु अगर घर में कोई बीमार हो जाए या लड़की बड़ी हो जाए, जिसकी शादी करनी है तो उसके गौने के लिए, उसके दहेज के लिए जो पैसा चाहिए वह किसान अपने खेत को बेचकर और अपने अनाज को बेचकर भी पूरा नहीं कर सकता। अगर घर में किसी को हॉर्ट की बीमारी हो जाए और उसका ऑपरेशन कराना है तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि अगर अपने पूरे खेत को बेच भी दे तो भी उसका इलाज नहीं करा सकता। किसान का बेटा अपने घर को, अपने गांव को छोड़कर मजबूरी में शहर की तरफ आता है। सही है, जहां पानी होता है वहीं प्यासा जाता है। हमको इस पर

गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जो असम में हुआ, मुम्बई में हुआ, वह दुबारा न होने पाए। अभी जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इस पर सोचना होगा कि किस तरह से हम लोग छोटे-छोटे गांवों में रहने वाले किसानों को, मजदूरों को, जो इस देश में 70 से 75 फीसदी तक लोग खेती में लगे हुए हैं, उन्हें रोजगार दे सकें। लोग आज शहरों के नाम बदल रहे हैं, इस बारे में मैं तो यह कहना चाहता हूं कि—

पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा।
नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने।

मान्यवर, बंबई का नाम बदलकर मुम्बई, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर, अहमदनगर का नाम बदलकर नगर करने से किसी को रोजी-रोटी नहीं मिलेगी। लोगों को रोजी-रोटी देने का कोई न कोई रास्ता हमको देखना पड़ेगा। जब इस देश से बेकारी खत्म होगी तभी इस देश के लोग आपस में भाई-भाई की तरह रहेंगे। इसके साथ ही यह गांव और शहर के बीच में, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है उसको पाटना पड़ेगा। हमें यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि गांव में लोगों के पास बीस-बीस कमरों का घर है दस-दस, बीस-बीस बीघा उनके पास जमीन है, लेकिन वे उसे छोड़कर मुम्बई में चले आते हैं। आज तो मुम्बई के लोगों की हालत अच्छी है, लेकिन पहले जब लोग वहां आते थे तो गांव से कोई चिट्ठी लाया उस पर लिखा होता था फलां आदमी, फलां अस्पताल का फुटपाथ। वहां से आया आदमी पता लगाते हुए, ढूंढते हुए, जिसके पास बीस कमरे का घर, जिसके पास बीस बीघा जमीन, वह बेचारा उसका एड्रेस ढूंढता हुआ आकर रात को सोए हुए आदमी का मूंह खोलकर उसको चिट्ठी देता था। उसके पास रहने का घर नहीं होता था, लेकिन ऐसे लोगों ने आज की मुम्बई को बनाया। मुम्बई की खाइयां, जहां लोग रहने को तैयार नहीं थे, अपने सिरों पर मिट्टी लाद लाद कर उसे पाटा। आज वहीं मुम्बई इकोनोमिकल सिटी बन गई है और अब कुछ लोग यह कहते हैं कि यहां से उत्तर भारतीय लोगों को निकालना है। इस संबंध में मैं यही कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा गंभीर मसला बन गया है, इस पर गौर करना पड़ेगा।

मान्यवर, जहां तक यह रेलवे रिक्रूटमेंट का मामला है, 9 नवंबर को एन०एस० रेलवे भर्ती बोर्ड के एग्जाम के लिए आठ लाख से ज्यादा लोगों ने अर्जी दी थी। जिस तरह से वहां घटना घटित हुई, ट्रेन से आए लोगों को रोका गया, उनको मारा गया और जो हॉल में पहुंचे उनके कार्ड फाड़ दिए गए, उनके सामान ले लिए गए, उनके पैसे लूट लिए गए, फिर 13 औरतें 2 बच्चों समेत करीब 60 लोग मारे गए, 400 से ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग जख्मी हुए, 600 से ज्यादा मकान जला दिए गए, दुकान जला दी गईं, 120 गाड़ियां तबाह कर दी गई, 500 से ज्यादा बिहारियों की गिन-गिन कर झोपड़ियां जलाई गईं, यह सब जो हुआ उसके लिए भारतवर्ष की छवि पर एक काला दाग लग गया है। जो दिसपुर में पुलिस की मौजूदगी में बिहारियों पर हमले हुए, अल्फा वालों ने 25 लाख हिंदी बोलने वाले लोगों को वार्निंग दी है, उनको अल्टीमेटम दिया है कि तुम लोगों को असम छोड़ना पड़ेगा इससे लगता है कि यह एक बहुत बड़ा मसला है। मैं चाहूंगा कि इस पर होम मिनिस्टर साहब हाऊस में आकर आश्वासन दे कि जो कुछ वहां हुआ है ऐसा आगे कुछ नहीं होगा। इस पर रोक लगनी ही चाहिए।

महोदय, 23 नवंबर को मुम्बई में होने वाले रेलवे बोर्ड की भर्ती परीक्षा में जो लोग असम के बाद आए कि वहां पर नौकरियां हैं तो वहां की एक पार्टी ने जिस तरह से लोगों को रोक रोक कर

मारना शुरू किया जिस तरह से उनको बेइज्जत किया, मेरे पास फोटो हैं, डंडे लेकर के मारा गया, यह एक बहुत ही निंदनीय बात है और इन पर रोक लगाने के लिए जरूरत है। वहां एक पार्टी है, पहले उन्होंने साउथ इंडियन को मारना शुरू किया कि ये मुम्बई में कैसे आ गये उसके बाद गुजरातियों को मारना शुरू किया, मुसलमानों को मारना शुरू किया। जब ये बात करते हैं कि यहां से बंगलादेशियों को निकालना है तो उनकी जुबान पर बंगलादेशी नहीं, बंगलादेशी मुसलमान हमेशा रहा है। मैं निन्दा करता हूं इसकी और ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। यह भारतवर्ष का सबसे बड़ा सदन है और मैं यहां कहना चाहता हूं कि उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। आपको यदि बंगलादेशियों को निकालना है तो निकालिए, लेकिन जो लफ्ज 'बंगलादेशी मुसलमान' यूज़ किया जाता है, उस पर पूरी बंदिश होनी चाहिए। आज उनका एक नारा है - धरती पुत्र। भारत पुत्र की क्यों नहीं बात करते सन आफ दि सॉएल, हम चाहते हैं कि वहां के लोकल लोगों को नौकरियां मिलनी चाहिए। रेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, आप इसके लिए कुछ रूल-रेगुलेशंस बनाइए। आप एन॰डी॰ए॰ में शामिल हैं और शामिल होने के बावजूद जिस तरह से उत्तर भारतीयों और बिहारियों पर इन्होंने क्रूड हमले किए हैं, यह बहुत निंदा वाली बात है और इस पर रोक लगाने की जरूरत है। कह दिया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों को मुम्बई में घुसने नहीं दिया जाएगा। क्या गलती है उनकी अगर यही होता रहा तो मिजोरम, मेघालय, उत्तरांचल, नागालैंड, बिहार आदि तमाम जगहों पर तैयारियां हैं और यह आग फैल जाएगी बिहार में क्योंकि वहां कितने ही बिहारी काम करते हैं, यह आग फैल जाएगी कश्मीर में। ये चीजें अगर आगे बढ़ेंगी तो नफरत बढ़ेगी और इन पर रोक लगाने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी शख्स कहीं भी जाकर रोजी-रोटी कमा सकता है। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं कि:

न मेरा है, न तेरा है, यह हिन्दोस्तां सबका है
न समझी गई बात तो नुकसां सबका है,
सागर से जो नदियां मिल गई, दिखलाई नहीं देती
महासागर बनाने में मगर ऐहसान सबका है।।

इसलिए ये जो क्षेत्रीय लड़ाइयां छेड़ी गई हैं ...(समय की घंटी)... खासतौर से आज जो मुम्बई में छेड़ी जा रही हैं और मुम्बई के गरीब लोग, जो फुटपाथ पर अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं, उनको जो पर-क्रांति के नाम से डराया जा रहा है, मैं सदन को कहना चाहता हूं कि इस पर रोक लगाने की जरूरत है।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

SHRI DRUPAD BARGOHAIN (Assam) Mr. Vice-Chairman, Sir, it is very pathetic that some innocent people from Bihar, Assam and other North Eastern States have suffered from rioting arising out of the recruitment policy of the North Frontier Railways by the Railway authorities, including the hon. Railway Minister. All of us condemn such rioting and sympathise with those families which have suffered and demanded from the Government to give suitable compensation to such families. Why have such incidents occurred in Bihar and Assam in particular? What are

the reasons? The most important reason is, the severest unemployment problem that is looming large in all the States of the country. The vision of our respected Prime Minister to create one crore-employment opportunities annually has also not worked. The State Governments are also callous in this regard.

There were some vacancies in the Railways. Some aspirants for those posts had pitted themselves against each other. In one examination centre spot at Guwahati, some candidates of Assam had wrongly assaulted a few candidates who came from Bihar. As the Press report says, the Railway Minister reacted sharply by saying that those who were assaulted would be allowed to sit in the examination in Bihar, which led to indignaion in Bihar and that further led to attacks on the innocent people of the State of Assam and other North Eastern States, at Katihar, Barsoi and Jamalpur Railway stations, by some mobs, while they were travelling in trains.

These events created further indignation and anger which led to attacks on innocent Bihari people in Assam. There was great friendship between the Assamese and Bihari people in Assam. But the mishandling of the railway recruitment policy by the Railway authorities led to such a misunderstanding among these people which is very very unfortunate.

Secondly, the Railway Minister and other responsible Railway authorities repeatedly stated that because of the Supreme Court's verdict no reservation could be brought in the Railway recruitment system. On the other hand, the people of different States want reservation in certain categories of Railway Services. For example, in C & D categories of Railway Services, reservations are made for local people up to hundred per cent. When such sentiment were there, the Railway Authority went against this reservation, on the basis of the Supreme Court verdict, instead of being sober in delaing with the situation. This added fuel to the fire. Here lies the mishandling of the recruitment policy by the Railway Authority, So, the Railway Authority, particularly, the Railway Minister must take responsibility for this.

Moreover, in Assam, another sentiment arose when the people of Assam saw earlier that most of the appointments in the North-Frontier Railway had been done from Bihar—this has already been stated by Shri Dipankar Mukherjee—and these appointees took their chairs in

different railway stations; according to some estimate, there was about 90 per cent of such appointees from Bihar.

Sir, further, special recruitments in certain cases are there for the North-Eastern States, particularly, in the Defence Forces. The previous United Front Government as well as the present NDA Government had also recognised the special situation which prevailed in this region. Under such a situation, the Railway Authority should not overemphasise the Supreme Court verdict on recruitment for Central institutions.

Sir, I urge upon the Prime Minister to look into all these matters seriously so that communal rioting does not take place and national integration is not hampered with.

Moreover, while the vacancies of C and D categories of the Railway Service should be reserved hundred per cent for the people of the States where these vacancies occur, some reservations for the A & B categories also should be made.

Sir, the paramilitary forces are necessary to control rioting. But that is not the only point. Unless you find out the real cause of rioting, unless you eradicate the root-cause, as I expressed during my speech, you cannot expect a solution. A solution can be found only when everybody understands what is in the mind of the people and what is the reality and objectivity of the situation in any State. Our Central leaders should understand these things very clearly. Otherwise, no solution can be there. Thank you, Sir.

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH (Assam): Sir, first of all, I want to condemn what happened last month in Assam and Bihar. The episode was, particularly, unfortunate, in Assam, the State that has been suffering from chronic insurgency for the last two decades. During the last two-and-a-half years, under the present Government of Assam, under the leadership of our Chief Minister, Shri Tarun Gogoi, there has been a perceptible improvement in the law and order situation. The militant outfits have been virtually marginalized as they have lost support of the masses, who want peace and tranquility in this State. The State was on its way towards reconstruction and development of the economy putting behind terror and turbulence of the past. This optimistic scenario has been repeatedly shaken and disturbed by the recent incidents. The insurgent

groups like the ULFA found a much-sought-after excuse to raise their heads and they indulged in killing, arson, etc. in the State. This may have the effect of putting the clock back on the development efforts being undertaken by the State Government. Sir, it is, in this context, I feel strongly that without beating about the bush, and indulging in blame game, the core issue, the root-cause of incidents of violence has to be addressed, and I strongly feel that unemployment in the region, particularly in the State of Assam , where more than 16 lakhs of educated youth are seeking jobs, is the root-cause of these incidents. And the wrong Railway recruitment policy is another cause for these incidents in Bihar and Assam.

Sir, in this connection, I would like to give some figures which will expose the blatant injustice and discrimination against Assam in Railway recruitment. In the North-Eastern Frontier Railway, the length of railway line is 3,397 kms., out of which 2,529 kms., that is, 64.33 per cent, fall in Assam. As against this, out of a total staff strength of 71,052 in the NF Railway, only 12,053 employees, that is, 16.97 per cent, are from Assam. This includes all *bona fide* residents of Assam, including the Assamese, Biharis, Bengalis, etc. The NF Railway has about 700 officers, out of which only 45, that is, 6.42 per cent, are from Assam.

I would now give you figures relating to Bihar's share. Now, 363 kms. of NF Railway line falls in Bihar, which is, 9.28 per cent, and against this, 17,776 employees, that is, 25.2 per cent, are from Bihar. These figures reveal a clear bias in favour of Bihar. These figures of employment clearly reveal the discrimination that has been done to Assam and the North-Eastern Region in NF Railway recruitment. With 9.28 per cent of NF Railway line in the State, Bihar enjoys 25.2 per cent of jobs in the 'C' and 'D' categories, whereas Assam with 64.33 per cent of NF railway line has been given only 16.97 per cent jobs. If you look at the un-reserved posts also, the percentage comes further down to 10 per cent. In the un-reserved posts, the percentage of employees from Assam and the North-Eastern Region is below 10.

I, therefore, urge that in the interest of our national unity and integrity and in the interest of reducing the regional disparities, this atrocious discrimination against Assam must end. I make this demand not only for Assam but also for the whole of the North-Eastern Region.

Sir, I would like to refer to one thing which has been raised by the

hon. Member, Shri Suresh Pachouri. In the 70s there was a policy to reserve the posts carrying salary up to Rs. 500 for people coming from that particular region or State. That has not been followed in the case of recruitment by NF Railway for a long time.

Therefore, in view of the problems of insurgency and backwardness of Assam, and in view of lakhs of unemployed seeking jobs in the NF Railway, I request the hon. Minister that 'C' and 'D' category posts in the NF Railway should be reserved for the people of Assam and the North-Eastern Region only. Sir, I will not take much time of the House. During the recent violence in the month of November in Assam, some hon. Members visited the State of Assam. I would like to mention here about the visit of Shri Lalu Prasad. His visit to Assam helped in maintaining peace and tranquility in the State. I also visited so many places with him. Shri Swaraj Kaushalji also visited the State. These visits helped in maintaining the law and order in the State. I fully supported their visits to the State. I congratulate them for visiting the State at that time.

Secondly, the issue of Central Paramilitary Forces has already been mentioned by Shri Pachouriji. Sir, the Chief Minister of Assam had written 14 letters to the Central Government that Assam was having shortage of paramilitary forces. Before these incidents, because of elections in other States, about 21 companies were withdrawn from Assam. So, it was very difficult for the State Government to maintain law and order in the State with the limited number of paramilitary forces. Still, the Assam Government...(*Time-bell*) Sir, I will take just two minutes. The Assam Government tried its best to maintain law and order to protect Bihari people who are living for a long time in Assam. There are some people who do not have land and home in Bihar. They have settled in Assam. We have no differences with them. We have very good relations with the Bihari people who are living in Assam, and we treat them as a part of brother Assamese society.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कृपया समाप्त करें।

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: So, in such a situation, the extremist forces took advantage of these killings. Earlier also, they had said that no Hindi cinema should be shown in Assam and all Hindi-speaking people should go from Assam. These are not the words of the people of Assam. These are some handful people who are indulging in extremist

activities. The people of Assam do not believe in this. We believe in living together with Assamese, Biharis and Bengalis. All these people are living there. So many Bengali people are living there. Hundreds and thousands of Bihari people are also living there for a long time. We don't have any differences with them. But, the discrimination which has been done in the Railway recruitment and other recruitments in the Central Government Departments have aggravated the situation in Assam, and the extremist forces took advantage of this to kill Bihari and other people. We condemned it in the strongest possible words.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): कृपया समाप्त करें।...(**व्यवधान**)... कृपया आसन ग्रहण करें। आपके दल के तीन माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। आपका समय समाप्त हो गया है। दूसरे लोग भी बोलने वाले हैं। आपकी बातें आ गयी हैं इसलिए कृपया समाप्त करें।

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir I would like to quote one instance as to how the situation aggravated, at that time. One of the Central Ministers said certain things, at that time, She went to the AASU office to meet them...

SHRI INDRAMONI BORA (Assam): Sir, I don't want...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप बाद में कहिएगा।...(**व्यवधान**)... आप बाद में कहिएगा। वे यील्ड नहीं कर रहे हैं। वे बैठ नहीं रहे हैं। आप कृपया बैठिए।...(**व्यवधान**)...

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, I may be allowed to finish my speech.(*Interruptions*)

SHRI INDRAMONI BORA: I don't want to contest...(*Interruptions*) These are very sensitive issues, and it should not be discussed here. (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आप अपनी बात अलग से कहिएगा। ...(**व्यवधान**)... अगर आपको बोलना होगा... (**व्यवधान**)...कृपया बैठिए। ...माननीय वर्मा जी, जरा इन्हें बैठाइए। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: Sir, I am quoting from the newspaper report and the hon. Railway Minister should be aware of it.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): आपका नाम है। आप बाद में बोलिएगा। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: On 17th November, this news item appears in the *Khabar* newspaper in Assam. It said, "Let us go and ransack the Railway headquarters, just now".

SHRI ANIL KUMAR (Bihar): Who said this?

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: The Central Minister said it. (*Interruptions*)

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): प्रो॰ राम देव भंडारी। ...(**व्यवधान**)... अब आप कृपया बैठिए। कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

SHRI DWIJENDRA NATH SHARMAH: She also asked them, "Why should there be Biharis in Assam police?" This type of comments aggravated the situation. (*Interruptions*) I demand that hundred per cent jobs in Group C and D posts in the N.F. Railway should be reserved only for the people from Assam and North-Eastern Region. (*Interruptions*) Thank you.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं बड़े दुख और पीड़ा के साथ इस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रेलवे की ग्रुप ''डी'' की परीक्षा असम में इतनी बड़ी हिंसा, लूट और आगजनी का कारण बनेगी। साठ से अधिक लोगों की हत्या हुई, हजारों घर जल गए, हजारों लोग घर से बेघर हो गए। उग्रवादियों तथा अलगाववादियों द्वारा की गई यह कार्रवाई देश और समाज को बांटने वाली कार्रवाई कही जाएगी।

[उपसभाध्यक्ष (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) पीठासीन हुए]

इससे सरकार को सावधान रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। महोदय, नौ तारीख को असम में रेलवे की ग्रुप ''डी'' भर्ती की परीक्षा थी जिसमें बिहार ही नहीं, बिहार के साथ-साथ बंगाल, यू॰पी॰, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों के परीक्षार्थी असम गए थे। असम में उन परीक्षार्थिओं को परीक्षा देने से रोका गया, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। बहुत बुरा हुआ। ठीक दो दिन के बाद ग्यारह और बारह तारीख को बिहार के कुछ रेलवे स्टेशनों पर, जिसमें जमालपुर, कटिहार, भागलपुर आते हैं, असामाजिक तत्वों और अराजक तत्वों ने गुवाहाटी से बिहार होकर जो गाड़ियां गुजरती हैं, उनमें कुछ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की। मैं दोनों घटनाओं की घोर निन्दा करता हूं और पोलिटिकल पार्टीज़ से अपील करता हूं कि वे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उनकी निन्दा करें, उसे रोकें। महोदय, बिहार के कुछ रेलवे स्टेशनों पर ग्यारह और बारह तारीख की जो घटनाएं

हुई, बिहार सरकार ने इन्हें रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की। वहां पर डी॰एम॰ और एम॰पी॰ को तुरंत हटाया गया। और यह कहा कि जिस डी.एम. और एस.पी. के क्षेत्र में आगे कोई घटना घटेगी, उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद बिहार में कोई घटना नहीं हुई। महोदय, डेढ़-दो सौ वर्षों से बिहार के लोग असम में रहते हैं। अब वे बिहारी नहीं रहे। उनकी भाषा असमी हो गई, रहन-सहन असमी, संस्कृति, बोल-चाल सब असमी हो गया। वे असम में समाहित हो गए हैं। बिहार में उनका कुछ भी नहीं है। गरीब रिक्शा वाला, ठेले वाला, ईंट-भट्ठे पर काम करने वाला, टी गार्डन वाला, उनको टी गार्डन में काम कराने के लिए अंग्रेज ले गए थे। अगर वे बिहार आएं, वे जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं उस क्षेत्र की वे भाषा भी नहीं बोल पायेंगे। असम में रहने वाले ऐसे बिहारियों को उल्फा ने कहा कि 24 घंटे के अंदर असम खाली करो। महोदय, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, लालू जी असम गए थे। माननीय स्वराज कौशल जी बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राज्य सभा के आठों सदस्य और स्वराज कौशल जी 24 तारीख को गुवाहाटी गए। एअर पोर्ट पर लालू जी के स्वागत में, डेलीगेशन के स्वागत में भारी भीड़ खड़ी थी। जहां भी लालू जी गए, असम में रहने वाले जो बिहारी लोग हैं, अपना दुख-दर्द कहने उनके पास आए। वहां पर लालू जी ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ कर, जहां कांग्रेस वालों से बात की, मुख्य मंत्री जी से बात की, वही आसू के जो लीडर्ज़ हैं, उनसे भी बात की। असम गण परिषद के पार्टी कार्यालय में गए। महंथा जी से उनके निवास पर जाकर बात की। जो भी संगठन अमन और शांति की दिशा में प्रयास कर रहे थे उन सभी संगठनों से बात की। कई बड़ी सभाओं को संबोधित किया जिसके माध्यम से उन्होंने असम के बिहारियों और असमियों को भाईचारे का संदेश दिया। आप सुनेंगे तो लालू जी की प्रशंसा करेंगे कि जिस सड़क से वे गुजरते थे, बिना जान की परवाह किए, निर्भय हो कर वे गुजरते थे। जहां 25-50 लोगों की भीड़ होती थी वहां वे उतरते थे और उनके बीच जाते थे, भाईचारे और शांति का संदेश देते थे। यही निवेदन करते थे कि आप आपस में मिल कर भाई-भाई जैसे रहो। कुछ अलगाववादी तत्व हैं, कुछ उग्रवादी तत्व हैं, कुछ वेस्टेड इन्टरेस्ट हैं, जो आप सब को अलग करना चाहते हैं। आप सब को उनसे सावधान रहना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि धीरे-धीरे जिस प्रकार असम में घटनाएं बढ़ीं केन्द्र सरकार को इसे गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए था। गृह राज्य मंत्री जी गए थे, एक और मंत्री जी गए थे। जब दो राज्यों के बीच का मामला हो, किसी कारण से तनाव हो रहा हो तो केन्द्र सरकार को चाहिए कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुला करके ओर स्वयं बैठ करके रास्ता निकालें कि किस प्रकार से राज्य में शांति और व्यवस्था होगी। महोदय, मुख्यमंत्री जी ने लालू जी से कहा था कि वे काफी अर्से से केन्द्र सरकार से 180 कंपनीज की मांग कर रहे थे। जैसाकि अभी एक साथी कह रहे थे कि आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में दो डिकेड्स से इनसर्जेंसी है और उग्रवादी तत्व इसी तलाश में रहते हैं कि कोई संवेदनशील मामला उनके हाथ आए जिससे उनकी जो अलगाववादी दृष्टि है, उस में मदद हो सके। इसलिए केन्द्र सरकार को दोनों राज्यों से मिलजुलकर, आपस में विचार-विमर्श करके रास्ता निकालना चाहिए

था और मुख्य मंत्री जी ने जो 180 कम्पनीज भी मांगी थीं, उसे पूरा किया जाना चाहिए था।

महोदय, हमारे कुछ साथी कह रहे थे, सचमुच में इस समस्या का संबंध बेरोजगारी से भी है। असम बहुत पिछड़ा राज्य है, बिहार भी पिछड़ा राज्य है। महोदय, सभी राज्यों में बेरोजगारी है जो पिछड़े राज्य हैं, उन में ज्यादा है। एक साथी कह रहे थे कि मुंबई में भी परीक्षा देने से रोका जाता है जबकि महाराष्ट्र तो विकसित राज्य है। सभी राज्यों में बेरोजगारी की कठिनाई है। मगर उसके साथ-साथ हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है और राज्यों की बेरोजगारी के नाम पर अगर हम इसी तरह अलगाववाद को प्रोत्साहित करते रहेंगे तो इस का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस पर आंच आएगी।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): Please conclude. You have taken enough time.

प्रो॰ राम देव भंडारी: सर, एक मिनिट। इस फेडरल स्ट्रक्चर को किसी भी पार्टी को तोड़ने का अधिकार नहीं है। महोदय, बिहार का, बिहार के लोगों का बड़ा भारी योगदान इस देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों मॉरीशस, फिजी, गुआना के विकास में है। इन सब देशों को बिहार के लोगों ने बनाया है, उन्हें मजबूत किया है। अभी भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात दर्जनों ऐसे राज्या हैं, इतना ही नहीं, अण्डमान निकोबार और जम्मू-काश्मीर तक, जहां कई बिहारी मारे भी गए हैं, उन राज्यों में भी बिहार के लोग उन राज्यों को मजबूत बनाने के लिए सेवा करते हैं।

महोदय, रेलवे की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में श्री दीपांकर मुखर्जी जी ने अभी चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि रेलवे मंत्री जी रिक्रूटमेंट की एक अच्छी पॉलिसी बनाएंगे ताकि आगे फिर इस तरह की कोई घटना न हो, साथ ही देश का फेडरल स्ट्रक्चर भी कायम रहे। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि असम में बिहारियों के पुनर्वास के लिए प्रधान मंत्री कोष से उन्हें भरपूर आर्थिक सहायता दिलाएं। अनिल कुमार जी 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं भी चाहूंगा कि 10-20 करोड़ जो भी आवश्यक हो, उन्हें पुनर्वासित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। मैं सुरेश पचौरी जी से भी सहमत हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लालू यादव जी को असम जाने के लिए धन्यवाद दिया। मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि इस बारे में एक रिजोल्यूशन पास कर के ऐसे अलगाववादी व उग्रवादियों की निंदा की जाए और आगे से इस तरह की घटना न हो इस के लिए सुनिश्चित किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI INDRAMONI BORA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I agree with the hon. Member, Shri Suresh Pachouriji, that we should not discuss those things which might create further tension and which will change the whole situation. But the issue we are discussing today is on the situation that arose in Assam and Bihar due to the Railway Recruitment Policy. We have been demanding from the Government of India that

4.00 P.M.

Assam and the entire North-Eastern Region is backward, so, some separate policy for the Central Government jobs should be adopted so that our Region can also develop. So, this *berozgari*, or, whatever you call, unemployment, is the root cause, which is killing Assam and the North-Eastern States. The poor economic condition of the region is the main cause for our youngsters to take to arms. This is the core issue. Sir, 56 years have passed, but the North-Eastern region is still very backward. Why is it so? It has been so because the successive Governments had never taken any interest for the development of this region. Only after the NDA Government, under the Leadership of Shri Atal Bihari Vajpayee, came to power in New Delhi, special attention has been given to the North-Eastern States. Now, there is a separate department for the development of North-Eastern States. I congratulate the NDA Government on this count. We have made a representation to the hon. Prime Minister and the hon. Deputy Prime Minister to make hundred per cent reservation for 'C' and 'D' category jobs in the Railways, in the Central Government sector, and in the semi-central Government sectors. I would like to give you an example. There is project, namely, Subansiri Hydel Power Project, where appointments are not made locally, but somewhere else. Then, those people are transferred to the region. Why to talk of only 'C' and 'D' grade jobs? We have got 1600 qualified engineers, MBAs, MAs and M.Coms. They are also jobless. That is why, as my previous speaker had mentioned, even qualified engineers and post-graduates had applied for 'C' and 'D' grade jobs. Why is it so? A point was raised regarding regionalism. But I would like to mention here that regional aspiration could not be a point of dispute with nationalism. The people of the North-Eastern region are also Indians. They also want to develop, as other Indians develop. But till now there was no scope in the North-Eastern States. Even to get a refinery at Assam, the people had to go to streets. Even to get a bridge over Brahmaputra, the people of Assam had to go to streets. Why this regional imbalance is there? Who are the people responsible for it? When the people of Assam or North-East demand for something, people say that they are parochial. But, as Indians, we have every right to take part in the development of India, and make India a great nation. We condemn the incident of 9th November. We also condemn, in the strongest words, the incident that

took place in Bihar, where North-Eastern passengers were assaulted and a Nagaland girl was raped. This was not a minor incident. A lot of Members have said that divisive forces are there. Definitely, some interested parties, who are against the development of our nation, are doing all these things. But who has given them a chance to do those things? The Chief Minister of Assam said, "I do not have sufficient security forces." But, so far as we know, at that time, Assam had about 111 companies of security forces. On 17th November, the AASU had declared *'Assam Bundh'*. But the Government could not anticipate that before and after the *Assam Bundh*, there might be such a situation. These incidents had started occurring from the night of 16th November. No policemen or security forces were posted in anticipation of any event. I don't want to say that only the Central Government was responsible for not giving the requisite number of Central Para-Military Forces wanted by the Government of Assam. But the security force which was there with the Government of Assam, even that was also not posted in time. And, that is why, this incident took a serious turn. We don't want to criticize the Government of Assam. When the first All-Party meeting was convened, we, being a responsible Opposition Party in Assam, extended all cooperation to the Government of Assam. Mr. Sharmah did not allow me to intervene while he was quoting from a newspaper, which reported that one hon. Union Minister had said something. Actually, that is not correct. In that newspaper ...*(Interruptions)*... Don't interrupt please. ...*(Interruptions)*... You did not allow me to intervene. In that newspaper, day before yesterday, there was a news item that "The BJP State leadership came to Delhi and complained against a particular Minister, who is from our Party, to the national leadership." That is the newspaper which he was quoting. It said, "The State BJP leadership". Complained against their Minister to the national leadership. I would request the hon. Member not to raise such a complaint in the House just based on a newspaper report. ...*(Interruptions)*... Please don't intervene ...*(Interruptions)*... You also did not allow me to intervene. ...*(Interruptions)*... No; no. ...*(Interruptions)*... Why did you quote from the newspaper report? ...*(Interruptions)*... We can also quote from a lot of newspaper reports, which are not correct. When your own leader said that we should not raise any sensitive issue in the House, why did you raise it? There are many newspaper reports written against your Chief Minister. I am not quoting those things because we want to ease the situation. We have to solve the problem.

Now, the core issue is reservation in the Government jobs, especially, in the Railways. So, we demand, the whole House demands this. There should be a resolution for hundred per cent reservation in 'C' and 'D' category jobs. Furthermore, we want some reservation in higher category jobs also because we have got 1600 unemployed qualified engineers, MBA's and post graduates. The North Eastern part being a backward Region, there should be some reservation, and a national policy should be adopted for that.

We are very grateful that today the Assam issue has been raised in this House and we have been allowed to discuss it. We are very fortunate. Dr. Arun Kumar Sarma gave a notice for the Calling Attention Motion, but that was not allowed. So, today, through this Short Duration Discussion, we have got an opportunity to place before the House the case of Assam and the North Eastern States not only on employment-related issues, but on other development issues as well. Sir, special consideration should be given for the North Eastern States. Words like parochialism and regionalism are being used. Unless the regions are developed, the nation cannot develop. And regionalism should not become a point of dispute with nationalism. We are nationalists, but we have to look after our region also. We have to look after our houses also. Without taking care of my house, how can I take care of other's house? This is a very pertinent point. So, I again want to put on record that there must be a hundred per cent reservation, not only in the Railways, but in all the Central sector units in Assam, for the North Eastern people. In the North Eastern Region, there are Assamese, there are Biharis, there are Bengalis, there are Khasis, there are Nagas, and there are Mizos. They are all there. So, for the North Eastern Region, in any unit, which is there in the North Eastern Region, hundred per cent reservation for the North Eastern people should be there. And in other category of jobs also, for higher category of jobs, for qualified people, there should be some reservation in jobs. Thank you very much.

श्री संजन निरूपम (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, सबसे पहले मैं भारत के रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहूंगा। जब इस देश में रोजगार के सारे स्रोत सूख रहे हैं, रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तब रेलवे ने रोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं। भले ही खलासी या गैंगमेन की पोस्ट के लिए वेकेंसीज जाहिर की गई। लेकिन लगभग 30 हजार पदों के लिए लगभग 75 लाख लोगों ने अपना आवेदन दिया। असम में कोई 2200 पद थे जिसके लिए 6

लाख 20 हजार आवेदन आए। महाराष्ट्र की भी बिल्कुल यही स्थिति थी। लगभग 2 हजार दो सौ या तीन सौ के आसपास पद थे जिसके लिए 6 लाख 50 हजार आवेदन आए। और ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे देश में लगभग 75 लाख लोगों ने आवेदन दिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यह बात तो ठीक है कि इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रेलवे के रिक्रूटमेंट की जो अपनी पॉलिसी है, जो नीति है उसमें दोष है और उसी दोष की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): No, I don't want to say anything. Please go ahead.

श्री संजय निरुपम (महाराष्ट्र): आप कुछ इस तरह से देख रहे थे तो मुझे लगा ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. A.K. PATEL): I am attentively hearing you.

श्री संजय निरुपम: रेलवे की रिक्रूटमेंट पॉलिसी में एक दोष है उस दोष की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर उस दोष को दूर नहीं किया गया तो हम चाहें कितने भी भाषण दे लें इस सदन में असम जैसी दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। सबसे पहला दोष यह है जो मुझे लगता है, असम के साथियों की भी आवाज आ रही है उस तरफ से कि ग्रुप-डी और ग्रुप-सी के पदों के लिए जिनकी सेलरी पांच हजार, 5 हजार 6 सौ के आसपास है उसके लिए अब दो हजार किलोमीटर दूर से किसी का आवेदन क्यों मंगा रहे हैं। अगर असम में असम के लोग चपरासी और खलासी की नौकरी नहीं करेंगे और वहां बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र के लोग जाकर नौकरी करेंगे और वहां के लोग बेरोजगार रह जाएंगे तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी। अगर महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लड़के खलासी की जॉब, गैंगमेन की जॉब या चपरासी की जॉब नहीं कर पाएंगे और बिहार या उत्तर प्रदेश या दक्षिण भारत के लोग आकर वहां नौकरी करेंगे तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होंगी। फिर जो 75 लाख आवेदन आए उसका सबसे बड़ा मूल कारण यह था कि आपने मल्टीपल एप्लीकेशंस मंगवाई। आवेदनकर्ता कुल एक है और जहां-जहां भी जगह खाली हो रही है हर जगह यह आवेदन दिए जा रहा है। उसका दुर्भाग्य यह है, बिहार के नौजवानों का दुर्भाग्य यह है कि वे असम में गए तो वहां उनको मार खानी पड़ी, महाराष्ट्र में गए तो वहां मार खानी पड़ी। एक व्यक्ति दस जगह जॉब के लिए भटक रहा है। क्या ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा सकती कि बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए वहीं पर पद तैयार किए जाएं, पद सृजित किए जाएं और वहीं पर उनको नौकरियां मिलें। तो सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कोई रीजनल एसपिरेशन या क्षेत्रवाद की दुर्गन्ध न देखी जाए, अलग-अलग राज्यों में वहां के लोगों को नौकरियों में आरक्षण देना ही पड़ेगा, विशेषकर छोटी जो नौकरियां हैं। गुजरात में गुजरात के लोगों को छोटी नौकरियों के लिए आरक्षण देना ही पड़ेगा और हां, अगर वे नौकरी नहीं लेते हैं तो बाहर के लोगों को

वहां आकर नौकरी करने देनी चाहिए। अगर वहां पर लाखों-लाख लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं उनको अगर जॉब नहीं मिलेगी तो चाहे हम इस देश के संविधान की कितनी भी दुहाई दे लें, चाहे कितने भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर लें, संघीय ढांचे की बात कर लें, चाहे कितनी भी देश की एकता की बात कर लें उस बेरोजगार के कान में वह बात नहीं जा सकती, बेरोजगार के दिल में वह बात नहीं बैठ सकती जो सालों साल से रोजगार के लिए अपना सार्टिफिकेट लिए घूम रहा है। इसलिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की पॉलिसी में एक परिवर्तन की बात मैं यहां पर मंत्री महोदय से निवेदन करते हुए कहूंगा। इस साल इतना हादसा, इतना झगड़ा क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर आया कि सारी की सारी जो अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं उनको अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापित किया जाना चाहिए और अखिल भारतीय स्तर पर नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे पहले ऐसा नहीं था। ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की नौकरियों के लिए जो स्थानीय रोजगार केन्द्र हैं, जो लोकल एम्प्लोयमेंट एक्सचेंज हैं वहीं से भर्तियां होती थीं। आज की तारीख में इस समय असम में जो लोकल इम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं या महाराष्ट्र में जो मुम्बई का लोकल इम्पलायमेंट एक्सचेंज है या शोलापुर या कोल्हापुर या नागपुर यहां के जो लोकल इम्पलायमेंट एक्सचेंज हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर, उनमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनके आधार पर नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। चूंकि ये नियुक्तियां नहीं हो रही हैं इसलिए आप पूरे देश से लोगों को बुला रहे हैं। अगर आप पूरे देश से लोगों को बुलायेंगे तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा होंगी। पांच हजार, सवा पांच हजार की नौकरी है और आप यह अपेक्षा करते हैं कि बिहार से कोई बेरोजगार नहीं जाये। वह बेरोजगार है, उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई गुनाह नहीं है, एक बेरोजगार व्यक्ति को आप पांडिचेरी में जाकर बोलिए वह वहां भी नौकरी करने के लिए तैयार हो जायेगा, उसका लक्षद्वीप में बोलिए वह वहां भी जाकर नौकरी करेगा। बिहार के लोगों की तो यह अपने आप में बड़ी खासियत रही है। वे हिन्दुस्तान से बाहर भी गये और जहां-जहां गये मजदूर बनकर गये और वहां के रूलर बन गये, शासक बन गये, वे लोग। इसमें कोई शक नहीं है कि वह एक इंटरप्राइजिंग कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी से मैं आता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : महाराष्ट्र में जाकर एम.पी. भी बन गये।

श्री संजय निरुपम: उस इंटरप्राइजिंग कम्युनिटी का मैं एक हिस्सा हूं और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। लेकिन सिर्फ मेरे गर्व करने से कुछ नहीं होगा। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके बारे में भी चिंता करने की जरूरत है। एक खलासी के जॉब के लिए सैलरी साढ़े पांच हजार रुपये है और उस साढ़े पांच हजार की नौकरी के लिए अगर हम यह अपेक्षा करें कि कोई तमिलनाडु से या कर्णाटक से या फिर बिहार से या यू.पी. से आकर के यहां मुम्बई में नौकरी करें तो फिर बताइये कि उस नौकरी की क्या वैल्यु होगी? नौकरी में ज्वाइन करते ही वह कहां रहेगा? हिन्दी में एक कहावत है, थोड़ी सी अगर असंसदीय हो तो माफ कर दीजिएगा। नंगा नहायेगा क्या और निचोड़ेगा क्या? यह

उसकी स्थिति होगी। पांच हजार रुपये में कहां रहेगा और क्या खायेगा और घर क्या भेजेगा? अगर उसकी शादी हो गई, बाल-बच्चे हो गये तो उनको वह कैसे पालेगा? इसलिए एक व्यवहारिक सुझाव यह था, हमारी पार्टी की तरफ से सुझाव आया, मेरे लीडर शिव सेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने स्वयं नीतीश जी से बात की कि भाई हम कोई क्षेत्रीयवादी लोग नहीं हैं, ऐसा आप मत सोचिए, जितना देश की एकता में आपको भरोसा है उससे ज्यादा मुझे भरोसा है। मैं उस पर विश्वास करता हूं और उसके हिसाब से काम भी करना चाहता हूं। लेकिन आप इस अव्यवहारिक व्यवस्था को दूर करिये। पांच, सवा पांच हजार की नौकरी के लिए दो-दो हजार किलो मीटर दूर जो लोगों को लेकर जाने का कार्यक्रम हो रहा है वह बंद होना चाहिए। मैंने एक और जानकारी लेने की कोशिश करी। एक जॉब के लिए जो एप्लीकेशन फार्म आते हैं उस पर बच्चों को कितना पैसा भरना पड़ रहा है -- 60 रुपये तो एप्लीकेशन फीस है। अगर 60 रुपये प्रति एप्लीकेशन के हिसाब से पूरे देश के लोग फीस जमा कर रहे हैं तो साढ़े छह लाख के हिसाब से साढ़े तीन, चार करोड़ रुपये एक रेलवे रिक्रूटमेंट सेंटर पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को दे रहे हैं इस देश के नौजवान बेरोजगार बच्चे। 60 रुपये नीतीश कुमार जी के लिए बहुत ज्यादा वैल्यु नहीं रखते होंगे लेकिन एक बेरोजगार, जो सालों साल से नौकरी ढूंढ रहा है, उसको अलग-अलग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर 60 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना पड़ा रहा है। उस फीस के जरिये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिये रेलवे के खजाने को भरना और उसके बाद आप एक्जामिनेशन कॅसिल करते हैं और उसके बाद जब दुबारा एक्जामिनेशन होगा, उसके लिए उसको फिर से एप्लीकेशन फीस भरनी होगी। अखिल भारतीय सेवा के नाम पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो कमाई का कार्यक्रम चल रहा है उसको भी रोकना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए यही सुझाव है, उसको रोकने का यही रास्ता है कि बिहार में बिहार के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाए और असम में जैसा कि नार्थ ईस्ट के सदस्य ने बताया कि उत्तर पूर्व में वहां के लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाये। इसलिए भविष्य में जो रेलवे रिक्रूटमेंट का कार्यक्रम हो, वह निश्चित तौर पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो जिसमें वहां के स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति की जा सके।

अब बात-बात पर कांस्टीटयूशन की दुहाई दी जाती है निश्चित तौर पर संविधान में व्यवस्था है और इस व्यवस्था का हम आदर करते हैं, इस व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हिन्दुस्तान के किसी भी कोने में जाने का अधिकार है काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम जा सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन संविधान की इस व्यवस्था में एक छोटा सा इन्क्लोजर है, एक छोटा सा अंग उसका यह भी है- स्थानीय लोगों की कीमत पर यह सब नहीं हो सकता। स्थानीय लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बार-बार कहा जाता है कि शिव

सेना एक Parochial पार्टी है, Parochial एप्रोच लेकर आ रहे हैं, क्षेत्रीयवादी बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 1956 में दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और जब उसकी रिपोर्ट आई, उसकी रिपोर्ट में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर स्टेट रिआर्गनाइजेशन करने की बात तो नहीं थी। आपने ही तय किया, इस देश की व्यवस्था ने ही तय किया, इस देश के उस समय के जो शासक थे उन लोगों ने कहा कि भाषाओं के आधार पर राज्य बनायेंगे। जब आपने भाषाओं के आधार पर राज्य बनाया तो जाहिर सी बात है आपने यह कहीं न कहीं कहा कि उस भाषा-भाषी समुदाय को उस राज्य में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अगर उस भाषा-भाषी समुदाय को उस राज्य में प्राथमिकता नहीं मिलती है तो फिर भाषाओं के आधार पर राज्य बनाने का आधार क्या है? अगर तमिलनाडु में तमिल भाषियों को प्राथमिकता नहीं मिलती है तो तमिलनाडु बनाने का क्या मतलब, कर्णाटक में अगर कन्नड़ भाषियों को प्राथमिकता नहीं मिलेगी नौकरियों में या स्कूल-कालेज के एडमीशनों में तो फिर राज्य बनाने का मतलब क्या हुआ? आज भी जो देश की एकता और संघीय ढांचे की दुहाई दे रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने झारखंड क्यों बनाया, आपने छत्तीसगढ़ क्यों बनाया, आपने उत्तरांचल क्यों बनाया? आपने कहा, कहीं न कहीं रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है। ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: भाषा के आधार पर नहीं बनाया।

श्री संजय निरुपम: भाषा के आधार पर नहीं बनाया लेकिन कहीं न कहीं क्षेत्रीय लोगों की आकांक्षाओं को दबाया जा रहा है। उस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं इसलिए उनको एक अलग प्रदेश दे दो। आज अगर हमने झारखंड बना दिया है और झारखंड में अगर झारखंड के लोगों की भावनाओं की पुष्टि नहीं हुई, उनकी भावनाओं को संतुष्ट नहीं किया गया तो झारखंड बनाने का अर्थ क्या हुआ? क्या फिर झारखंड के लोग इसका विरोध नहीं करेंगे, क्या वहां विद्रोह की बातें नहीं होंगी? इसलिए जो स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं उसे कम से कम क्षेत्रवाद की संज्ञा दी जाए, उसमें कहीं भी क्षेत्रवाद की बात नहीं है। जिस समाज के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उस समाज के नेता, उस स्थान पर रहने वाले लोग उसका विरोध करेंगे। इसका अर्थ यह भी नहीं समझा जाना चाहिए कि अगर हम महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र के लोगों के लिए नौकरियों की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि बिहार के लोगों को नौकरी मिलनी ही नहीं चाहिए। बेशक वे भी बेरोजगार हैं, वे भी हमारे भाई हैं और मेरी स्थिति तो बिल्कुल अलग है। मैं बिहार में जन्मा और महाराष्ट्र ने मुझे पाला। मैं आज महाराष्ट्र में रह रहा हूं लेकिन मैं एक बिहारी भी हूं। मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं बिहार के लोगों के खिलाफ हूं और बिहार के लोगों को जॉब नहीं मिलना चाहिए। हां, यह एक चिंता की बात है कि हर वर्ष बिहार से एक-सवा लाख लोग जा रहे हैं। हर वर्ष लगभग तीन लाख लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। वे नौकरियां की तलाश में जा रहे हैं, धंधे की तलाश में जा रहे हैं। वे लोग अपने-अपने प्रदेश को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए। ...(समय की घंटी).

... आखिर बिहार और उत्तर प्रदेश में जो शासक हैं, जो रूलर्स हैं, जिनको वहां के लोगों ने जनादेश दिया, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग अगर छोड़कर चले जाएं यहां से जा रहे हैं तो यहां पर रहेगा कौन? आज बिहार का सारा इंटीलीजेंट ग्रुप, पूरा इंटलीजेंट पढ़ा-लिखा जो वर्कर ग्रुप है, वह अगर बिहार छोड़कर चला गया तो फिर बिहार आगे कैसे जा इसलिए कहीं न कहीं यह व्यवस्था करने की जरूरत है कि बिहार में बिहार के लोग रहें, उत्तर प्रदे उत्तर प्रदेश के लोग रहें और आवागमन भी बना रहे-आवागमन को रोकने की बात नहीं हो रही महाराष्ट्र के लोग जाकर बिहार में रह सकते हैं और बिहार के लोग आकर महाराष्ट्र में रह सक लेकिन जब अति होगी तो उस अति के खिलाफ बातें निकलकर आएंगी। आज एक अति हो रही आज जरूरत से ज्यादा हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आपसे मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय एक की दुहाई देने के बजाए-उसमें हम भी भरोसा करते हैं, आप भी भरोसा करते हैं, आप शायद ज्य भरोसा करते होंगे लेकिन मैं दावा करता हूं कि आपसे ज्यादा मैं भरोसा करता हूं-उस विवाद में पड़ने के बजाए, उसको सामने ढाल बनाकर रखने के बजाए रेलवे के रिक्रूटमेंट और तमाम केन्द्रीय नौकरियों की जो व्यवस्था है, जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसमें परिवर्तन लाने की व्यवस्था की जाए, इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Prevention of Terrorism (Amendment) Bill, 2003

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Prevention of Terrorism (Amendment) Bill, 2003, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 2003."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SHORT DURATION DISCUSSION

On the Situation in Assam and Bihar due to Railway Recruitment Policy—Contd.

श्री गांधी आज़ाद (उत्तर प्रदेश): धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहां विभिन्न भाषाएं, विभिन्न वेषभूषा, रीति-रिवाज के साथ-साथ विभिन्न बोलियां भी बोली जाती हैं किन्तु सारी विभिन्नताओं के बावजूद हम सब भारत के नागरि